मार्च 2019

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
श्री कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

प्रबंध सम्पादक
उर्मिला शुक्ला

समन्वय
म.प्र. माध्यम

परामर्श
अशोक कुमार चौहान
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

5 ▸ त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन कार्यक्रम

10 ▸ प्रदेश की सबसे छोटी सरपंच बेटी के बुलंद इरादों ने बदली गांव की तस्वीर

14 ▸ महिलाओं के जज़्बे और जुनून ने खुद लिखी अपनी विकास गाथा

16 ▸ गांधीजी की दृष्टि में ग्राम और नारी उत्थान

21 ▸ गरीबी से जंग जीतकर लखपति बनी रीता शाक्या

27 ▸ रोज़गार से स्थाई आजीविका की ओर बढ़ते कदम

30 ▸ बदलाव के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार

34 ▸ पंचायती राज संस्थाओं को बनाया जायेगा अधिकार सम्पन्न

18 ▸ महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प लिया सरकार ने

22 ▸ आर्थिक स्वावलम्बन से पंचायत प्रतिनिधि तक का सफर

26 ▸ वनांचल से महिला सरपंच ने लिखी अनुकरणीय सफल कहानी

28 ▸ निर्धनता से समृद्धि की गाथा लिखी संगीता गौतम ने

29 ▸ असंभव को संभव कर दिखाया चंपा सिंह ने

37 ▸ 28 हजार से बढ़कर 51 हजार रुपये हुई मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की राशि

44 ▸ अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेंस में दिये गये निर्देश

45 ▸ जिला तथा जनपद पंचायत प्रतिनिधियों की विकास राशि के पुनर्निर्धारण संबंधी आदेश जारी

46 ▸ 8 मार्च को सबला महिला सभा आयोजित करने के निर्देश जारी

चिट्ठी-चर्चा

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का फरवरी माह का अंक पढ़ने को मिला। मैं मध्यप्रदेश पंचायिका का नियमित पाठक हूं। पत्रिका का लक्ष्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना है। मुझे खुशी है कि पत्रिका के इस प्रयास से ग्रामीण विकास को गति भी मिली है। आज पंचायतें सशक्त और समृद्ध बन रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग की योजनायें धरातल पर नज़र आ रही हैं। निश्चित ही इन योजनाओं से ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

- विवेक शर्मा
भोपाल (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का फरवरी 2019 अंक पढ़ा। अंक में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन कार्यशाला के आयोजन की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की गई। राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित कर प्रशंसनीय कार्य किया है। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किये जाने चाहिये। इससे पंचायत प्रतिनिधियों को ग्रामीण भारत को समृद्ध करने और भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का अवसर मिलेगा।

- अजीत तिवारी
धार (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका, फरवरी माह का नवीनतम अंक देखा। मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने का काम किया जा रहा है। ग्रामसभा सशक्तिकरण अभियान के जरिये आम ग्रामीणों को भी ग्रामीण विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के इस प्रयास से निश्चित रूप से आम ग्रामीणों तक लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा सरकार द्वारा ग्रामीणों की आजीविका के प्रयास भी किये जा रहे हैं। उम्मीद है इन जनकल्याणकारी कार्यों का सिलसिला बरकरार रहेगा।

- दिलीप भदौरिया
इंदौर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का फरवरी माह का नवीन अंक पढ़ा। पत्रिका में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ ही कई उपयोगी समाचार और जानकारियां प्रकाशित की गई हैं। इसके अलावा पत्रिका में ग्राम पंचायत विकास योजना की विस्तृत जानकारी भी प्रकाशित की गई है। यह जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों और अन्य लोगों के लिये मार्गदर्शन का कार्य करेगी।

- गीता साहू
जबलपुर (म.प्र.)

कमलेश्वर पटेल
मंत्री

प्रिय बंधुओ,

हम सब जानते हैं कि जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी हमारा परिवार और समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा। यह भी सब जानते हैं कि हमारे सभी धर्म ग्रंथों में चाहे वेद हों या पुराण हों नारी को अधिकार है वे घर की मुखिया बने, देश की शासक बने और सभी प्रतिष्ठापूर्ण पदों को धारण करें। अब सवाल यह है कि क्या हमारे समाज में महिलाओं की ऐसी स्थिति है कि वे अपने अधिकारों का उपयोग कर पाने में सक्षम हों?

आज हमारे पास पंचायतों का ऐसा मंच है जहां महिलाएं अपनी प्रतिभा के साथ नेतृत्व कर रही हैं। ग्राम सभा सबसे शक्तिशाली मंच है। जिस ग्रामसभा में महिलाएं आगे हैं वहां की ग्राम पंचायत भी आगे है। आज गांवों के विकास के कई ऐसे काम हैं जहां महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने मोर्चा सम्हाला है।

हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि महिलाओं की शक्ति और योगदान के बिना विकास का कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। उनकी भागीदारी अनिवार्य है। हम ग्रामसभाओं में महिला सशक्तिकरण का अभियान शुरू कर रहे हैं। यह जानना जरूरी है कि सशक्तिकरण क्या है ?

महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान तरीके से समझा जा सकता है। हमारी महिला शक्ति जब जीवन से जुड़ा हर फैसला पूरी स्वतंत्रता के साथ, बिना किसी डर के और पूरे आत्मविश्वास से ले सके तो वे सक्षम बन गई है। यह स्थिति तब आयेगी जब समाज के सभी लोग यह समझें और उन्हें ऐसा वातावरण दें जिसमें वे अधिकारों का उपयोग कर सकें। हमारी आधी आबादी महिलाओं की है। अब भी वे यदि सशक्त नहीं हुईं तो हम सिर्फ विकास ही नहीं हर क्षेत्र में पिछड़ जायेंगे।

हम सब यह महसूस कर रहे हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। महिलाओं को खुद आगे आना है। आज जिस तरह से समाज में परिस्थितियां बन रही हैं और नई चुनौतियां आ रही हैं उसे देखते हुए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार सम्पन्न बनाना आवश्यक है। यही समय की मांग है।

हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे पास पंचायत राज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें भागीदार बनकर महिलाओं में आत्मविश्वास आया है। वे बड़े निर्णय लेने में भी पीछे नहीं हटतीं। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां उन्होंने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। हमें और तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च का दिन सबसे अच्छा समय है जब महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत हो। इसका समापन आठ माह बाद पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिवस 19 नवम्बर को प्रियदर्शिनी महिला सभा के रूप में होगा। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत ही नहीं विश्व में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है।

मैं पंचायत राज व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा रही सभी महिला जनप्रतिनिधियों को नमन करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लें।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(कमलेश्वर पटेल)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन

उर्मिला शुक्ला
संचालक

प्रिय पाठको,

हम सभी जानते हैं कि भारत गांवों में बसता है। गांवों के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं है। इसीलिए नई सरकार ने त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए अपने वचन पत्र में पंचायत राज संस्थाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण का वचन दिया है।

सरकार ने अपने इन वचनों को पूर्ण कर दिया है। त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, 30 जनवरी को धार से पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन कार्यक्रम से किया गया। इसी श्रृंखला में पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने और उनके प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्धन के लिए विगत 23 फरवरी को भोपाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्व-सहायता समूह के सदस्य भी शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य और विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला की विस्तृत रिपोर्ट को हमने प्रशिक्षण स्तम्भ में शामिल किया है। इसके साथ ही अनुकरणीय पंचायत राज प्रतिनिधियों से साक्षात्कार, अपने जज़्बे और जुनून से विकास गाथा लिखने वाली स्व-सहायता समूह की महिलाओं की सफलता उन्हीं के शब्दों में प्रकाशित की जा रही है।

इस अंक में स्व-सहायता समूह की उन अनूठी महिलाओं से हुई बातचीत को भी शामिल किया है जो पहले समूह से जुड़ीं और फिर अपने अनुभव के आधार पर पंचायत प्रतिनिधि का दायित्व संभाला।

अपने समाज और प्रदेश के लिए समर्पित इन रियल रोल मॉडल की सफलता की कहानियों को इस अंक में आपके सामने लाने का प्रयास किया है ताकि इनसे प्रेरित होकर विकास का जन आंदोलन आरम्भ होने की संभावना निर्मित हो सके। ''गांधीजी की दृष्टि में ग्राम और नारी उत्थान'' विशेष लेख भी प्रकाशित है। सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दिये गए वचन को पूर्ण करने की प्रक्रिया में 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ''सबला दिवस'' और 19 नवम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिवस पर ''प्रियदर्शिनी महिला दिवस'' मनाने का फैसला लिया है। 8 मार्च और 19 नवम्बर को होने वाली विशेष महिला ग्रामसभा के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हमें यह सुनने में आता रहा है कि नारी अबला है। स्त्री के अबला होने के इस मिथ को तोड़ने का कार्य 8 मार्च की ग्रामसभा से किया जायेगा। ग्रामसभा में महिलाएं अपनी आवश्यकता, क्षमता और विकास के आधार पर योजना बनाने को लेकर विचार-विमर्श करेंगी। सरकार की इस मंशा के आधार पर लेख ''महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प लिया सरकार ने'' प्रकाशित किया जा रहा है।

वर्तमान सरकार के अब तक लिए गए फैसलों पर किये गये प्रयासों को ''बदलाव के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार'' बढ़ते कदम स्तम्भ में प्रकाशित है।

इसके अलावा ख़ास ख़बरें और महात्मा गांधी नरेगा की जानकारी भी प्रेषित की जा रही है। आपके मार्गदर्शन के लिए विभागीय कालम में अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देश और पंचायत गजट में विभागीय आदेश शामिल हैं।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(उर्मिला शुक्ला)
संचालक, पंचायत राज

कमजोर पंचायत राज को अधिकार सम्पन्न बनाया जायेगा

त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में नई सरकार द्वारा सत्ता की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार ने ग्रामीण, युवा और किसानों के विकास के लिए ऐतिहासिक फैसले लेकर इसका क्रियान्वयन किया है। अपने वचन पत्र में दिये गये वचनों को तीव्र गति से पूर्ण करने का उपक्रम सबके सामने है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला महिला सभा और प्रियदर्शिनी महिला सभा की तैयारी पूर्ण हो गयी है। प्रदेश विकास में पंचायतें अहम भूमिका निभा सकती हैं। वर्तमान सरकार ने अपने वचन पत्र में पंचायतों के सशक्तिकरण का वचन दिया था जिसे पूर्ण करने का आरंभ 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर धार से आरंभ हो गया है। इसी कड़ी में भोपाल में 23 फरवरी को पंचायत प्रतिनिधियों तथा उत्कृष्ट स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच, पंच, प्रदेश की जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सचिव शामिल हुए। इसके अतिरिक्त प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत गठित उत्कृट कार्य करने वाले स्व-सहायता समूह के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। आयोजन में लगभग 30 हजार प्रतिनिधि शामिल हुए।

भेल दशहरा मैदान में आयोजित इस वृहद आयोजन को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 58 दिनों में हमने मध्यप्रदेश में यह बताया है कि विकास की नींव किस तरह रखी जाती है। कार्यक्रम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने संबोधित करने के साथ पंचायत प्रतिनिधियों की विकास राशि में की गई वृद्धि की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों तथा स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में पिछले पंद्रह सालों में पंचायत राज कमजोर हुआ है। विकास की बुनियाद पंचायत राज संस्थाओं को वही अधिकार दिये जायेंगे जिसका सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने देखा था।

उन्होंने कहा कि पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों को भोपाल, मंत्रियों और मंत्रालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। उन्हें इतने अधिकार दिये जायेंगे कि वे अपने गाँव का विकास स्वयं कर सकें।

पंचायत प्रतिनिधि रबर स्टेम्प और लेटरपेड के प्रतिनिधि बनकर रह गये थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पंद्रह सालों में हमारे जिला, जनपद अध्यक्ष और सरपंच रबर स्टेम्प और लेटरपेड के प्रतिनिधि बनकर रहे गये थे। उनके पास अपने गाँव के विकास का कोई अधिकार नहीं था। अब ऐसा नहीं होगा। मध्यप्रदेश में सरकार का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों से होगा, हमने अपने वचन-पत्र में वादा किया था कि पंचायत प्रतिनिधियों को सर्वशक्ति सम्पन्न बनायेंगे। उन्हें वही अधिकार दिये जायेंगे जो महात्मा गांधी जी की और स्व. श्री राजीव गांधी जी की कल्पना थी। श्री नाथ ने कहा कि श्री राहुल गांधी जी ने पंचायत राज को सुदृढ़ बनाने के लिये मुझसे विस्तार से चर्चा की थी। मैंने उनसे कहा था कि आज जो पंचायत सचिवों के चेहरे पर निराशा दिख रही है, वे जब अगली बार मध्यप्रदेश आयेंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी।

- **कार्यशाला में भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच, पंच, प्रदेश की जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित हुए।**
- **ग्राम पंचायतों में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हुए।**
- **कार्यशाला स्थल पर पंचायत राज विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी लगायी गयी।**
- **कार्यशाला में लगभग 30 हजार पंचायत प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।**
- **ग्राम पंचायत विकास योजना, आदर्श ग्राम पंचायत एवं नवाचार पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया।**

श्री कमल नाथ ने कहा कि नई सरकार प्रदेश के विकास की बुनियाद को मजबूत बनाने की ओर देख रही है। पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाना मतलब प्रजातंत्र को मजबूत बनाना है। हमारी सरकार कुलीन वर्ग की सरकार नहीं है। यह गरीबों, मजदूरों और ग्रामीणों की सरकार है, जिन्हें सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 58 दिनों में हमने मध्यप्रदेश में यह बताया है कि विकास की नींव किस तरह रखी जाती है। कृषि और प्रदेश के बेरोजगारों को नजरअंदाज करके हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिये हमने सबसे पहले कर्ज के बोझ से दबे किसानों का कर्जा माफ किया है और नौजवानों को काम देने की शुरुआत की है। जब हमने अपनी सरकार बनाई तो हमें विरासत में खाली खजाना और बदहाल व्यवस्था मिली। हमारा प्रदेश बलात्कार में, किसानों की आत्महत्या में और

बेरोजगारी में नंबर वन है। इन चुनौतियों का हम सामना करेंगे और प्रदेश के विकास के नक्शे को बदल देंगे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे बदली हुई व्यवस्था को देखें, सच्चाई को पहचानें और अपना समर्थन दें। यह सरकार घोषणाओं की, विज्ञापनों की सरकार नहीं है, हम आपको काम करके दिखायेंगे और वचन-पत्र को पूरा करके आपका विश्वास हासिल करेंगे।

पंच परमेश्वर अब महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना

जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पंचायत प्रतिनिधियों को सुदृढ़ बनाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्यों की घोषणा करने के लिये जो राशि मिलती थी उसमें वृद्धि करने की स्वीकृति उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण और दक्षता का कार्यक्रम है। इसके जरिए हम पंचायत प्रतिनिधियों को बतायेंगे कि वे कैसे अपने गाँव के विकास का काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने पंच-परमेश्वर योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना करने की भी घोषणा की। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में प्रदेश के विकास में सहभागी बनें। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा प्रकाशित पत्रिका मध्यप्रदेश पंचायिका के विशेषांक का मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। प्रारंभ में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने मुख्यमंत्री को स्मृति-चिन्ह भेंट किया। आयोजन में जनसंपर्क एवं विधि-विधायी मंत्री श्री पी.सी. शर्मा एवं किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव उपस्थित थे।

पंचायत प्रतिनिधियों की
विकास राशि में वृद्धि

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के विकास राशि के अधिकार में वृद्धि करने की घोषणा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष की विकास राशि को दोगुना करते हुए 25 से बढ़ाकर 50 लाख, उपाध्यक्ष को 15 से बढ़ाकर 20 लाख, जिला पंचायत सदस्य को 10 से बढ़ाकर 15 लाख, जनपद पंचायत अध्यक्ष को 12 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, जनपद उपाध्यक्ष को 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख और जनपद सदस्य को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक के विकास कार्यों की घोषणा करने के अधिकार होंगे। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों को सर्वाधिकार सम्पन्न बनाने की बुनियाद रखी थी। श्री दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने इस क्रांतिकारी संविधान संशोधन को मध्यप्रदेश में पूरे देश में सबसे पहले लागू किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश का हृदय ग्रामीण क्षेत्र है। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती ग्रामीण क्षेत्रों की कार्य-शैली पर ही आधारित है।

मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की कहानी

पंचायत प्रतिनिधियों की जुबानी

मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था तब साकार होती दिखाई दी जब मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के मुख्य आतिथ्य और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के विशेष मार्गदर्शन में आयोजित पंचायत राज प्रतिनिधियों और स्व-सहायता समूहों के क्षमतावर्धन और प्रशिक्षण कार्यशाला के मंच से पंचायत प्रतिनिधियों ने मंच साझा किया। शायद यह पहला अवसर होगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि सरपंच दोनों एक साथ, एक ही मंच पर न सिर्फ उपस्थित थे बल्कि मंच से पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने विचार भी रखे। इस कार्यक्रम में नई सरकार द्वारा पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए दिए गए वचन की पूर्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के उद्बोधन के अलावा अपर मुख्य सचिव पंचायत राज और पंचायत राज संचालनालय के विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसी मंच से पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। कुछ प्रतिनिधियों के वक्तव्य -

भोपाल के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनमोहन नागर ने कहा कि नई सरकार ने अपने वचन पत्र में पंचायतों को जो अधिकार और सम्मान दिया है उससे हमारा उत्साह बढ़ा है। पंचायत राज प्रतिनिधि आपके साथ हैं। हमें उम्मीद है कि आप 1994 के एक्ट में शामिल सभी अधिकारों को लागू करेंगे।

- मनमोहन नागर
जिला पंचायत अध्यक्ष, भोपाल

नरसिंहपुर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधीजी ने 73वें संविधान संशोधन से पंचायत राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण किया था। श्री दिग्विजय सिंह जी ने 1994 में सबसे पहले इसे मध्यप्रदेश में लागू किया। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की अवधारणा को माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने रखा और पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने का ऐतिहासिक कदम उठाया। पिछले 15 वर्षों से हमें वो अधिकार नहीं मिले जिन्हें माननीय श्री कमल नाथ जी की सरकार ने देने का आश्वासन वचन पत्र में दिया है। साथियों इसकी शुरुआत हो गई है, हम सबको पुन: अधिकार मिलेंगे, गांव-गांव की पंचायतें जीवित होंगी।

संदीप पटेल
जिला पंचायत अध्यक्ष, नरसिंहपुर

हमारी मंशा है सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, शासन एक तंत्रीय न हो, बलवंतराय मेहता समिति का मूल उद्देश्य है सत्ता में आम लोगों की भागीदारी हो। पिछले पंद्रह वर्षों में उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए। नई सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली से हमारी उम्मीद जागी है। हमारी मंशा है कि स्व. श्री

राजीव गांधी जी के सपनों वाला पंचायत राज लागू होना चाहिए।

- अभय मिश्रा
जिला पंचायत अध्यक्ष, रीवा

हमने पंचायतों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। आज पूरे मध्यप्रदेश के पंचायत

प्रतिनिधि आये हैं। हमारी इस सरकार से यही अपेक्षा है कि स्व. श्री राजीव गांधी जी के सपने और श्री दिग्विजय सिंह जी के लक्ष्य के अनुरूप पंचायतें और ग्रामीणों को अधिकार मिलें।

- श्री डी.पी. धाकड़
जिला पंचायत अध्यक्ष, रतलाम

प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री कमल नाथ जी के नेतृत्व में हम सभी पंचायत प्रतिनिधि मिलकर ग्राम पंचायत को मजबूत करेंगे। पंचायतों को इतना सशक्त किया जाये कि वो गांव को ऊंचाई तक ले जाये। विगत् 4 वर्षों से हम जो नहीं कर पाये उसे अब

हम निश्चित ही पूर्ण करेंगे। आपने युवाओं महिलाओं तथा बेटियों के उत्थान और कल्याण के लिए अच्छी शुरुआत की है। आपके नेतृत्व में हमें मध्यप्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद है।

- आंचल अठ्ठया
जनपद पंचायत अध्यक्ष
देवरी, जिला सागर

श्रीमती कमलाबाई दांगी ने क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात रखी। सबसे पहले निवेदन है

कि जो हमारे पहले अधिकार थे यानी माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने लागू करवाये थे वे हमें दिये जायें। हमारे यहां के बेटे और बेटियां जो पढ़ लिख गये हैं उन्हें रोजगार मिले। नई सरकार के साथ कार्य करने की संभावनाओं और विकास की अपेक्षाओं को लेकर कमलाबाई दांगी ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक साल और बढ़ाया जाये।

- कमलाबाई दांगी
अध्यक्ष जनपद पंचायत
ब्यावरा, जिला राजगढ़

मंदसौर जिले की दलोदा चौपाटी ग्राम पंचायत प्रदेश की एकमात्र ऐसी ग्राम

पंचायत है, जिसे 8 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

सरपंच श्री विपिन जैन बताते हैं कि उनकी पंचायत विभिन्न स्रोतों से प्रतिवर्ष 60 लाख रुपये की आय अर्जित करती है। जन सहयोग से 570 स्ट्रीट लाइट पोल लगाकर ग्राम पंचायत का शत-प्रतिशत ऊर्जीकरण किया गया है। यह पहली ग्राम पंचायत है, जिसने वॉटर एडीएम, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने में सफलता हासिल की है।

- श्री विपिन जैन
सरपंच, दलोदा चौपाटी,
जिला, मंदसौर

● **अर्चना शर्मा**

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था को अमल में लाया गया। महिलाओं की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सशक्त भागीदारी संभव हो इसके लिए भी मध्यप्रदेश ही वह अग्रणी प्रांत है, जहां महिलाओं के लिए पंचायत राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। वर्ष 1994 से लेकर 2001 तक पारित किये गये विधेयकों और व्यवस्था का परिणाम है कि जिला पंचायत से लेकर ग्रामसभा तक महिलाओं की भागीदारी न सिर्फ सुनिश्चित हुई बल्कि महिलाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अपनी सशक्त भूमिका का निर्वहन कर रही हैं।

श्रीमती कमला दांगी
जनपद अध्यक्ष, ब्यावरा
जिला : राजगढ़, मध्यप्रदेश
मोबा. : 9926642635

त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था
विकास के आयाम रचती
महिला प्रतिनिधि

कहते हैं सोच वैश्विक हो और काम स्थानीय हो, तभी देश-दुनिया के समानान्तर प्रगति संभव है। ऐसी ही समझ के साथ पंचायत प्रतिनिधि बनने की जिम्मेदारी हाथ में ली है, राजगढ़ जिले की जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला दांगी ने। स्थानीय भाषा में बातचीत के साथ कुछ कर गुजरने का उनका जज़्बा साफ झलकता है। कमला जी ने हमें बताया कि उनके मन में बालिकाओं की शिक्षा और महिलाओं की समस्याओं को लेकर हमेशा तकलीफ रहती थी। उन्होंने तय किया कि कुछ करना चाहिए। वे पहले जनपद सदस्य बनीं फिर जनपद अध्यक्ष। कार्य के प्रति समर्पित कमला जी की लोकप्रियता इस बात से साबित होती है कि उन्हें चुनाव में 23 में से 21 वोट मिले और वे विजयी हुईं। ब्यावरा जनपद में 109 पंचायतें शामिल हैं। इन सभी पंचायतों के समन्वय का कार्य करने के साथ उन्होंने विकास में पिछड़ी हबीपुरा ग्राम पंचायत के लिए विशेष अभियान चलाया और सर्वे में छूटे हुए मोतीपुरा को शामिल करवाया। ब्यावरा में ही 19 स्व-सहायता समूहों के निर्माण और समन्वय में इनकी विशेष भूमिका रही है।

अपनी जनपद में शौचालय निर्माण और स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित किया। आवास निर्माण के आवंटन, गांवों में तालाब और सड़क निर्माण के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान किया। कमला जी ने बताया कि उन्होंने कोशिश करके वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के लिए सभी पात्र महिलाओं को उनका हक दिलवाया है। कमला जी की कार्यशैली और आत्मविश्वास को देखकर लगता है देश की सभी स्थानीय महिला प्रतिनिधि प्रगति के इसी बाने को अंगीकार कर लें, तो हम विकास के लक्ष्य को निश्चित ही हासिल कर सकते हैं।

प्रदेश की सबसे छोटी
सरपंच बेटी के

यदि गांव की बेटी पढ़-लिख कर अपने ही गांव के विकास का संकल्प ले ले तो कुछ भी असम्भव नहीं है। इसका ही अनूठा उदाहरण है नरसिंहपुर जिले के चावरपाठा जनपद की सडूमर पंचायत की सरपंच मोना कौरव। सडूमर गांव की इकलौती सबसे ज्यादा शिक्षित बेटी मोना ने चकाचौंध भरी शहरी दुनिया में अच्छी नौकरी करने के स्थान पर अपने गांव के विकास के लिए पंचायत राज व्यवस्था में शामिल होने का निर्णय लिया। प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच, मोना कौरव अब महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई हैं। उन्होंने वर्ष 2015 में चुनाव-प्रचार के दौरान ही अपनी पंचायत की समस्याओं को जान-समझ लिया और सरपंच बनते ही काम में जुट गयीं। सरपंच बनने के मात्र तीन माह में ही पंचायत को खुले में शौच से मुक्त किया। फूड और न्यूट्रीशन में एम.एससी. और एल.एलबी. मोना की पंचायत में कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं है। सरपंच की सक्रियता के चलते गांव के हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ सड़क, पानी, स्वच्छता, साफ-सफाई और आवास आवंटन की प्रक्रिया का यथोचित क्रियान्वयन किया जा रहा है। अपनी पंचायत के विकास के लिए संकल्पित ग्रामीणों के लिए समर्पित सडूमर की सरपंच से समता पाठक ने मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए उनके कार्यों को लेकर बातचीत की प्रस्तुत है बातचीत के अंश-

बुलंद इरादों ने बदली गांव की तस्वीर

- **नई सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं?**

●● देखिए, ग्रामीण विकास और पंचायत की योजनाओं की रीढ़ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम। मेरी नई सरकार से अपेक्षा है और विश्वास भी है कि इस सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा का बेहतर और प्रभावी क्रियान्वयन किया जायेगा।

- **आप अपने आप में महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण हैं आप अन्य महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?**

●● देखिए स्व. श्री राजीव गांधी जी ने संविधान संशोधन से पंचायत राज व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण को लागू किया और माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में मध्यप्रदेश में सबसे पहले त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गयी और महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। महिलाएं चुनकर भी आयी हैं लेकिन वास्तविक सशक्तिकरण तभी होगा जब महिलाएं पूरा काम अपने हाथ में लेंगी। मेरा अपनी साथी बहनों से यही कहना है कि अपनी संस्कृति और परम्परा का सम्मान करें पर अपनी ताकत को अपने हाथ में रखें, अपने दायित्व को पुरुषों को न सौंपें। वे सरपंच पति की व्यवस्था को समाप्त करें तभी वह स्वयं के, समाज के, गांव के और प्रदेश के विकास में भागीदार बन सकेंगी और तभी संभव होगा संपूर्ण महिला सशक्तिकरण।

- **आपने एम.एससी., एल.एल.बी. तक पढ़ाई की है, अच्छी नौकरी करके सुखद भविष्य बनाने के स्थान पर आपने सरपंच बनना क्यों तय किया?**

●● मैं जब पढ़ाई कर रही थी, तब गांव की इकलौती सबसे ज्यादा पढ़ी-

लिखी बेटी थी, तो गांव वाले, योजनाओं का लाभ न मिलने को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर मेरे पास आते थे, मैं उनके साथ जाती थी, अधिकारियों से बात करती और उन्हें उनका हक दिलवाती। फिर जब हमारे गांव की पंचायत महिला सीट हो गयी तो सबने कहा कि आप ही सरपंच बन जाओ तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जायेंगी और मैं इस रास्ते पर चल दी।

- **सरपंच बनते ही मोना ने ग्राम स्तर पर कई योजनाएं लागू कीं जैसे- समाधान अभियान, कुपोषण से मुक्ति, दुर्गोत्सव योजना, सरपंच पाठशाला, वरिष्ठ कथा वाचन कार्यक्रम।**
- **शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने और उसका लाभ दिलाने में भी मोना ने सदैव सक्रियता दिखायी है। इससे कई गांवों के कई परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।**
- **सरपंच बनने से अब तक लगभग 5 करोड़ रुपये तक के विकास कार्य किये और कार्यों का यह सिलसिला निरंतर जारी है...।**

- **सरपंच बनने के बाद आपने अपनी पंचायत के विकास के लिये किस तरह कार्य करना शुरू किया।**

●● असल में इसकी शुरुआत पंचायत चुनाव के दौरान ही हो गयी थी। मैं जब चुनाव-प्रचार करने जाती थी तब मुझे गांववालों की समस्या का पता चला, मैंने उसकी सूची बनाई। इस तरह मेरे पास आधार कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड बनाने, पेंशन की समस्या, रोड, नाली का निर्माण और अन्य सभी आवश्यकताओं को लेकर एक डाटा बैंक था। मैंने सरपंच बनते ही ''समाधान अभियान'' चलाया और एक-एक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, सरपंच बनने के तीन महिने बाद ही हमने गांव को खुले में शौच से मुक्त किया। हमारे यहाँ आवास का

योजनानुसार काम चला और लगभग अन्य कार्य 99 प्रतिशत तक पूर्ण हो गए।

- **आपकी पंचायत कुपोषण मुक्त पंचायत है यह कार्य आपने कैसे किया?**

●● देखिए, शासन की मदद उपलब्ध है। हमें सचेत होकर उससे जुड़ना है। मैंने 15 बच्चों को गोद लिया। उन्हें फल देने का कार्य मैं खुद करती थी। आयुष विभाग के सहयोग से उन 15 कुपोषित बच्चों को दवाई दी जाती थी। इसके अलावा हमने बच्चों के अभिभावकों की काउंसलिंग की। चूंकि मैंने फूड एण्ड न्यूट्रीशन में एमएससी किया था तो यह कार्य मैं अच्छे से कर पायी। मुझे खुशी है कि मेरी पढ़ाई मेरे गाँव के बच्चों के काम आयी। परिणाम अच्छे निकले। अब हमारे यहाँ कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं है।

- **अपनी पंचायत को स्मार्ट पंचायत बनाने की कल्पना ने कैसे आकार लिया?**

●● देखिए शासन की अलग-अलग योजनाएं हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, निर्माण कार्य, जल संरक्षण के लिए कार्य हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगा यह सारे कार्य विशेष गुणवत्ता के साथ हों, पूरी प्लानिंग एक साथ हो तभी हमारी पंचायत स्मार्ट पंचायत बनेगी। इसके लिए प्रयास चल रहा है। मैंने पीएमओ ऑफिस, केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा प्रदेश स्तर पर प्रस्ताव दिया है।

- **आपको यह सब करने के बाद कैसा लग रहा है?**

●● बहुत अच्छा, लग रहा विशेषकर मैंने उन परिस्थितियों में सरपंच का दायित्व संभाला। जब लोग कहते थे यह तो लड़की है, क्या कर पाएगी। मेरे लगातार प्रयासों, गाँव वालों का साथ और सहयोग से हमारी पंचायत विकसित होती चली गयी और यह भी साबित हो गया कि बेटियों को कमतर न समझें, वे मेहनत और लगन से बेहतर परिणाम दे सकती हैं। बस उन्हें अवसर मिलना चाहिए।

सडूमर पंचायत में सरपंच द्वारा किये गये कार्य

- तालाब गहरीकरण कार्य, लागत 15 लाख रुपये
- गोबर गैस निर्माण कार्य, लागत 15 लाख रुपये।
- तालाब घाट का निर्माण कार्य।
- नाडेप निर्माण कार्य।
- मुक्तिधाम निर्माण कार्य, लागत 1.59 लाख रुपये।
- खेल मैदान निर्माण कार्य, लागत 3.53 लाख रुपये।
- सुदूर सड़क निर्माण कार्य।
- सड़क निर्माण कार्य लागत - 35 लाख रुपये।
- आंगनवाड़ी बाउंड्रीवाल 48,000 रुपये।
- पाइपलाइन कार्य 27.88 लाख रुपये।
- पंचायत भवन 15 लाख रुपये।
- आयुष भवन 34 लाख रुपये।
- आंगनवाड़ी भवन 15 लाख रुपये।
- व्यायामशाला 5 लाख रुपये।
- स्वास्थ्य केन्द्र बाउंड्रीवाल की मरम्मत।
- कक्ष 5 लाख रुपये।
- चबूतरा निर्माण कार्य 0.50 लाख रुपये।
- पुस्तकालय निर्माण कार्य 1.50 लाख रुपये।
- सी.सी. रोड निर्माण कार्य 6.50 लाख रुपये।
- सी.सी. रोड नाली एवं चबूतरा निर्माण कार्य 2 लाख रुपये।
- यात्री प्रतीक्षालय 1 लाख रुपये।
- मुक्तिधाम बाउंड्रीवाल 8 लाख रुपये।
- तालाब पिचिंग कार्य 10 लाख रुपये।
- नाली निर्माण कार्य 4.99 लाख रुपये।
- सामुदायिक भवन 10 लाख रुपये।
- सरपंच पाठशाला - शासकीय स्कूल के बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग।
- दुर्गोत्सव योजना- बेटी के जन्म उपरांत प्रथम ग्राम प्रवेश पर उसका ढोल बजाकर स्वागत।
- बुजुर्ग स्नेह योजना- श्रावण मास में माह भर शिवपुराण कथा आयोजित करना।
- कुपोषण मुक्त एवं बाह्य शौच मुक्त पंचायत।

जनभागीदारी से किये गये कार्य

- स्कूल बाउंड्रीवाल 8 लाख रुपये।
- सी.सी. रोड 5 लाख रुपये।

पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश

नई सरकार में डेढ़ माह की उपलब्धियां

नई सरकार की तेज गति से कार्य करने की प्रणाली का अमल पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा किया जा रहा है। पंचायत राज संचालनालय की संचालक श्रीमती उर्मिला शुक्ला ने बताया कि पिछले डेढ़ माह में सरकार द्वारा वचन पत्रों में दिये गये वचनों के कई बिन्दुओं की पूर्ति के लिए शासकीय आदेश जारी करने के साथ पंचायत राज अमले द्वारा इसका त्वरित क्रियान्वयन भी किया गया है।

महिला ग्राम सभाओं का आयोजन : महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने ग्राम विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का वचन पत्र में वचन दिया था। उसी वचन पूर्ति के तहत ग्राम विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 8 मार्च को सबला महिला सभाएं और 19 नवम्बर को प्रियदर्शिनी महिला सभाएं की जाएंगी। सरकार के इस वचन के क्रियान्वयन के लिए पंचायत राज संचालनालय द्वारा महिला ग्रामसभा के लिए आदेश जारी करने के साथ आयोजन की संपूर्ण तैयारी कर ली गई है।

पंचायत राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण : सरकार ने वचन दिया था कि त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा आमजन को विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। अपने वचन के अनुसार सरकार बनते ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल के मार्गदर्शन में कार्य को पंचायत राज संचालनालय द्वारा आकार दिया गया। इसके लिए 30 जनवरी को धार में तथा 23 फरवरी को भोपाल में त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर क्षमतावर्धन किया गया। इन वृहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा लगभग 38 हजार पंचायत राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया।

मध्यप्रदेश में सबसे पहले चौदहवें वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों को जारी : पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग मूल अनुदान की दूसरी किश्त जारी कर दी है। यह राशि 23 जनवरी 2019 को ग्राम पंचायतों के एकल बैंक खाते में ट्रांसफर की गयी। मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम और सबसे पहले यह राशि ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी है।

ग्राम पंचायत विकास योजना : मध्यप्रदेश की सभी पंचायतों में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जा चुका है। सभी पंचायतों द्वारा निर्मित विकास योजना को प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया गया है।

पंचायत प्रतिनिधियों की विकास राशि बढ़ाने का आदेश जारी : पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल द्वारा 23 फरवरी को भोपाल में पंचायत राज प्रतिनिधियों एवं स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों की विकास राशि में वृद्धि की घोषणा की थी। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के इस कदम के प्रतिपालन में संचालक पंचायत राज मध्यप्रदेश एवं उप सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश श्रीमती उर्मिला शुक्ला द्वारा शासकीय आदेश 1 मार्च 2019 को जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका के इसी अंक में प्रकाशित भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने वाल्मी को दी 12 करोड़ आय अर्जित करने पर बधाई

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने वाल्मी को पिछले वर्षों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों से 12 करोड़ रुपये से अधिक आय अर्जित करने पर बधाई दी है। संचालक मध्यप्रदेश जल एवं भूमि संस्थान (वाल्मी) श्रीमती उर्मिला शुक्ला ने बताया कि संस्थान द्वारा प्रदेश की बंजर एवं पड़त भूमियों पर जल-संरक्षण, नेनो वॉटर शेड आधारित समग्र विकास योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम किये गये। संस्थान के अन्य नवाचारों जैसे तनाव रहित प्रशिक्षण, स्वच्छ वाल्मी, सामाजिक दायित्व अंतर्गत की गई पर्यावरण-संरक्षण की गतिविधियों, केचमेंट एवं कमांड क्षेत्रों के प्रशिक्षण इत्यादि कार्य किए जाते हैं।

महिलाओं के जज़्बे और जुनून ने
खुद लिखी अपनी विकास गाथा

पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को हमेशा से ही पुरुषों की तुलना में कमजोर माना जाता रहा है। लेकिन बदलते समय के साथ महिलाओं ने इस कथ्य को झूठा साबित करते हुए समाज में अपना एक अलग मुकाम बनाया और पहचान बनाई। बात चाहे फिर कल्पना चावला की हो जिन्होंने बतौर महिला अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया। चाहे मध्यप्रदेश के रीवा जिले की अवनी चतुर्वेदी की, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में पहली वूमेन फाइटर पायलट के रूप में अपनी पहचान बनाई। इतना ही नहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज भी ऐसी कई महिलाएं है जिन्होंने अपने जिद और जुनून से समाज की धारणा को बदला और आज पूरे जिले में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। पढ़िए ऐसी ही महिलाओं की कहानी उन्हीं की जुबानी...

हैंडलूम के क्षेत्र में बनाई पहचान

मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां लड़कियों से काम करवाना ज्यादा उचित नहीं समझा जाता है। ज्यादा शिक्षित न होने की वजह से मेरे सामने खुद की आजीविका चलाना एक बड़ी चुनौती थी। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया और हैंडलूम के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। मुझे इस काम की कोई जानकारी नहीं थी। इस वजह से मैंने शुरुआत में कुछ साल हैंडलूम की ट्रेनिंग ली। लगभग पांच साल हमने मध्यप्रदेश सरकार के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में सुना। पहले इस पूरी योजना को समझा उसके बाद से मैंने इस कार्य को करना निश्चित किया। परिवार का साथ और मेरे पति की मदद से मैंने इस क्षेत्र में काफी उन्नति की। यही वजह है कि आज मैं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दरी सहित हैंडलूम के कई कार्य करती हूं। साथ ही देशभर में जहां-जहां एग्जीविशन लगाए जाते हैं वहां भी मैं शामिल होती हूं। इसके अलावा नए लोगों को ट्रेंड करने का काम भी शुरू किया। वर्तमान समय में मेरे पास 50 लोग हैंडलूम की ट्रेनिंग ले रहे हैं।

- सीमा आर्य
ग्राम कैथोकड, विकासखंड
नौगांव, जिला छतरपुर

मजदूरी छोड़ शुरू किया खुद का काम

मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। घर में आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती थी। ऐसे में मुझे लगा कि अब मुझे ही कुछ काम करना होगा। पढ़ी-लिखी न होने की वजह से मुझे कोई पेशेवर नौकरी मिल पाना तो मुश्किल था।

इस वजह से वहीं गांव के अंदर मेहनत मजदूरी कर किसी तरह से अपना भरण-पोषण करती थी। लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि क्यों न मैं खुद का कोई काम शुरू करूं। बस वहीं से मैंने ठान लिया चूंकि मुझे हाथ से बुनाई का कार्य आता था। तो मैंने मेहनत मजदूरी छोड़, गेट कवर, झूमर निर्माण का कार्य करना शुरू किया। शुरुआत में मुझे कुछ दिन तक इसका प्रशिक्षण लेना पड़ा। उसके बाद मैं स्वयं पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गई। आज स्थिति यह है कि मेरे साथ कई अन्य महिलाएं काम कर रही हैं। और सभी हस्तशिल्प वो सिर्फ ऑर्डर पर ही तैयार करती हैं।

- तरन्नुम बानो
ग्राम अंवाडा,
ब्लॉक परासिया, जिला छिंदवाड़ा

गांव की महिलाओं के लिए तैयार किया सेनेटरी पेड

पूरे देश में स्वच्छता और शौचालय निर्माण कार्य को लेकर हमेशा बात चलती है। लेकिन कभी कोई महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करता। मैंने जब पेडमैन फिल्म देखी तो। मुझे समझ आया बिल्कुल ऐसी स्थिति तो मेरे गांव की महिलाओं की भी है। यहां की महिलाएं ब्रांडेड सेनेटरी पेड का इस्तेमाल नहीं करतीं। जिसकी वजह से कई बार उन्हें गंभीर बीमारियाँ भी हो जाती हैं। बस यहीं से मैंने लगभग दो साल पहले सेनेटरी पेड निर्माण का विचार मन में बनाया। शुरुआत में तो परिवार के सदस्यों ने कहा कि कैसे यह काम करोगी, इसका तो नाम लेने में भी शर्म आएगी। किसी को क्या बोलेंगे। लेकिन मैं किसी भी प्रकार से हताश नहीं हुई और मैंने अपने इस कार्य को पूरी तरह से आगे बढ़ाने का विचार किया। मैंने भोपाल आकर इसकी ट्रेनिंग ली। धीरे-धीरे जब काम शुरू हुआ और मैंने इसके उपयोग के फायदे और इसके उपयोग न करने से होने वाले नुकसान के बारे में गांव की महिलाओं को बताया तो उन्हें भी इसकी उपयोगिता समझ आई। उसके बाद गांव की तस्वीर ऐसी बदली कि आज गांव की ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस पेड का इस्तेमाल कर रही हैं। खास बात यह है कि इसकी कीमत बाजार में मिलने वाले सेनेटरी पेड से कम है।

- पुष्पा राजपूत
ग्राम गुनगा, जिला भोपाल

अब तक 40 गांव की महिलाओं को जोड़ चुकी हूँ

मैंने हमेशा से ही एक सपना देखा था कि मैं भी कभी नौकरी करूंगी। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण अधिक पढ़ाई नहीं कर सकी और यह सपना मेरा अधूरा रह गया। लेकिन मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरे द्वारा शुरू किए गए साबुन व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी मदद की। इसके तहत मैंने पहले इस काम का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद धीरे-धीरे साबुन के बाद कास्टिंग सोड़ा निर्माण, हैंडवॉश क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर को तैयार करना शुरू किया। मुझे भी उम्मीद इतनी नहीं थी कि मेरा यह कार्य एक दिन बड़ा आकार लेगा। लेकिन मेरी मेहनत और परिवार के साथ की वजह से आज मैं एक समूह के रूप में महिलाओं के साथ कार्य कर रही हूं और मेरे इस समूह से 40 गांव की महिलाएं जुड़ी हैं जो कार्य कर रही हूं। इस पूरे

कार्य का उद्देश्य केवल इतना था कि मैं मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकूं

● प्रवीण पांडे

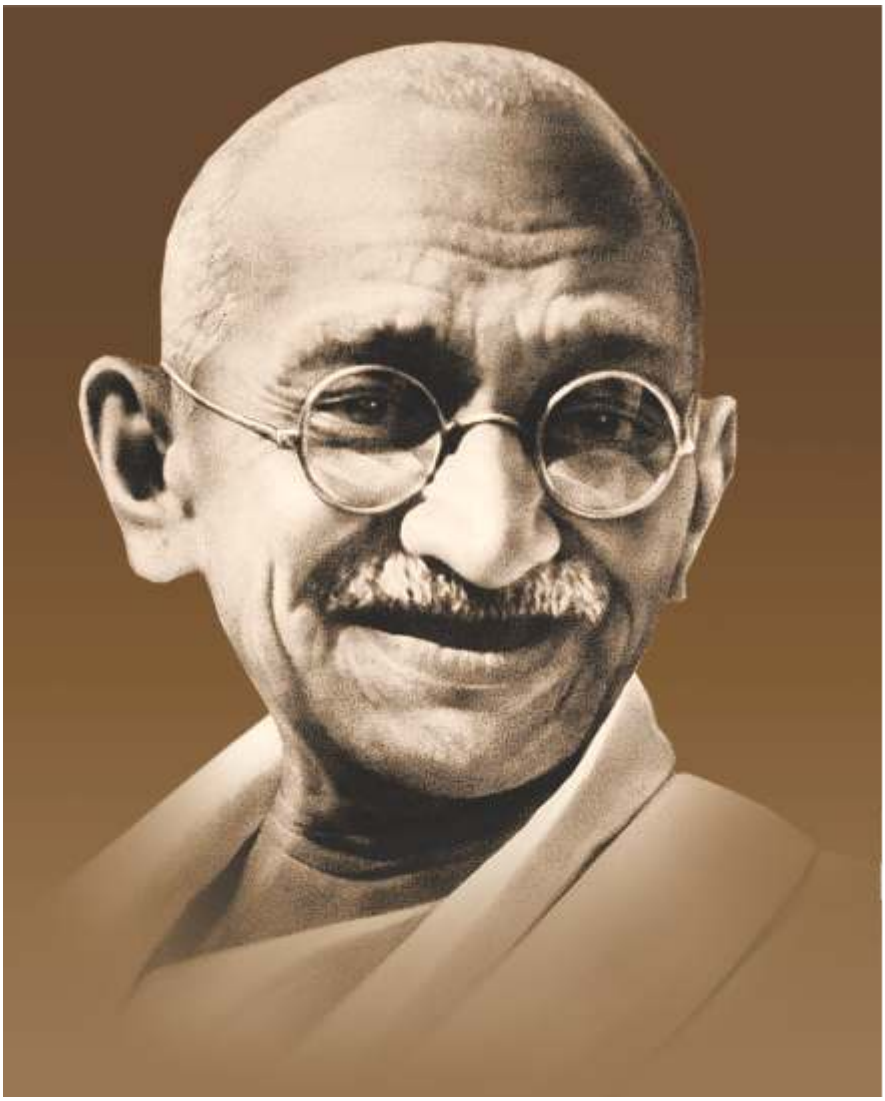

गांधीजी की दृष्टि में

ग्राम और नारी उत्थान

गांधीजी की कल्पना में स्त्री-पुरुष की प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, अपितु पूरक हैं। गांधीजी ने अपने एक आलेख में लिखा है कि ''प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों को एक-दूसरे के पूरक के रूप में सिरजा है, जिस तरह उनके आकार में भेद है, उसी प्रकार उनके कार्यों में भी मर्यादा है। स्त्री-पुरुष की समानता या उनके स्वावलंबन का यह अर्थ नहीं है कि वे समान धंधे करें, इसका अर्थ है कि दोनों को अपने-अपने दायित्व पूरा करने का पूर्ण स्वावलंबन हो।'' गांधीजी स्त्री की शिक्षा, स्वावलंबन और आत्मनिर्णय के अधिकार के पक्षधर थे। उनका मानना था कि स्त्री की शिक्षा संपन्नता ही संतान को श्रेष्ठ और योग्य बनाती है।

गांधीजी ने जिस स्वराज की कल्पना की थी, उसमें केवल राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं था। बल्कि वे राजनैतिक सत्ता को स्वराज्य के लक्ष्य का साधन मानते थे। गांधीजी ने 2 जुलाई 1931 को अपने 'यंग इंडिया' के एक लेख में लिखा था कि ''मेरी दृष्टि में राजनैतिक सत्ता कोई साध्य नहीं है, परंतु जीवन के प्रत्येक विभाग में लोगों के लिए अपनी हालत सुधार सकने का एक साधन है।'' अब सवाल उठता है कि यह हालत कैसे सुधरेगी। गांधीजी की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता ही स्वराज का मूल है और इसकी शुरुआत नीचे से होना चाहिए। निचली इकाईयां क्या हैं? समाज की निचली इकाई या हम जिसे धुरी कह सकते है, आधार कह सकते हैं। राष्ट्र की न्यूनतम इकाई अथवा धुरी ग्राम हैं। इन दोनों की आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के लिए स्वराज्य आवश्यक है। गांधीजी ग्रामों को इतना आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे कि अपनी जरूरत की किसी भी चीज के लिए किसी और का मुंह ताकने की आवश्यक न पड़े। प्रत्येक ग्राम अपनी आवश्यकता वस्तु का स्वयं उत्पादक हो, स्वयं सृजक हो। इसी प्रकार वे स्त्री के लिए भी पूर्ण स्वावलंबन के पक्षधर थे।

गांधीजी की कल्पना में स्त्री पुरुष की प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, अपितु पूरक है। गांधीजी ने अपने एक आलेख (हरिजन, 2.12.39) में लिखा है कि ''प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में सिरजा है, जिस तरह उनके आकार में भेद है, उसी प्रकार उनके कार्यों में भी मर्यादा है। स्त्री-पुरुष की समानता या उनके स्वावलंबन का यह अर्थ नहीं है कि वे समान धंधे करें, इसका अर्थ है कि दोनों को अपने-अपने दायित्व पूरा करने का पूर्ण स्वावलंबन हो।''

गांधीजी स्त्री की शिक्षा, स्वावलंबन और आत्मनिर्णय के अधिकार के पक्षधर थे। उनका मानना था कि स्त्री की शिक्षा

संपन्नता ही संतान को श्रेष्ठ और योग्य बनाती है। गांधीजी नगरीय समाज की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियों को अपेक्षाकृत अधिक सक्षम मानते थे। उन्होंने अपने एक आलेख (रचनात्मक कार्यक्रम पृ. 32-34) में कहा है कि मैं भलि-भांति जानता हूं गांवों में स्त्रियां अपने मर्दों के साथ बराबरी से टक्कर लेती हैं, कुछ मामलों में वे उनसे बढ़ी, चढ़ी हैं, उन पर हुकूमत चलाती हैं, लेकिन बाहर से देखकर कोई तटस्थ आदमी यह जरूर कहेगा कि हमारे समाज में जो रूढ़ियां हैं, स्त्रियों को दर्जा मिला है उसमें अनेक खामियां हैं और जड़मूल से सुधार की जरूरत है।

गांधीजी का कोई दर्शन, कोई साहित्य और उनकी प्रत्येक कल्पना के मूल में दो ही भाव मिलते हैं एक ग्राम स्वराज्य और दूसरा स्त्री स्वावलंबन। यदि गांव राष्ट्र की नींव है, और स्त्रियां समाज का मूल हैं तब ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली स्त्रियों का स्वावलंबन विविध आयामों में होना चाहिए। गांधीजी की कल्पना स्त्री का स्वावलंबन इन क्षेत्रों में विकास और निर्णय लेने के अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकता में थे। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा था कि स्त्रियों को अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक नहीं है। अंग्रेजी की आवश्यकता तो केवल नौकरी के लिए होती है और नौकरी में कैसे स्वावलंबन होगा। जहां कभी भी स्वाधीनता नहीं होगी, स्वावलंबन नहीं होगा, पराधीनता ही होगी। इसीलिए आवश्यकता यह है कि यदि ग्राम के स्तर पर प्रत्येक ग्राम अपनी आवश्यकता का, अपने शासन का निर्णय स्वयं ले तो प्रत्येक परिवार के स्तर का निर्णय परिवार के स्तर पर हो। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों परामर्श से निर्णय लें, कोई अपना निर्णय दूसरे पर आरोपित न करे।

गांधीजी का मानना था कि गांवों की गरीबी और परिवारों के विनाश के पीछे अशिक्षा, रूढ़िवादिता और परंपराओं का पालन फूहड़पन से करने के कारण है। यदि स्त्रियों का कार्य, दायित्व पृथक है, पूरक है, तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वे परिवार के अथवा पंचायत के निर्णय और अधिकार में भागीदार नहीं हो सकतीं। हमें भारतीय समाज में स्त्रियों के अनेक रूपों के दर्शन होते हैं। एक तरफ यदि वे गार्गी, अनुसूइया एवं भारती के रूप में वे अपनी बौद्धिक सत्ता स्थापित

गांवों की गरीबी और परिवारों के विनाश के पीछे अशिक्षा, रूढ़िवादिता और परंपराओं का पालन फूहड़पन से करने के कारण है। यदि स्त्रियों का कार्य दायित्व पृथक है, पूरक है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वे परिवार के अथवा पंचायत के निर्णय और अधिकार में भागीदार नहीं हो सकतीं। हमें भारतीय समाज में स्त्रियों के अनेक रूपों के दर्शन होते हैं। एक यदि वे गार्गी, अनुसूइया एवं भारती के रूप में अपनी बौद्धिक सत्ता स्थापित करती दिखती हैं तो सीता के रूप में उच्च आदर्शों की प्रतीक दिखाई देती हैं।

करती दिखती हैं तो सीता के रूप में उच्च आदर्शों की प्रतीक दिखाई देती हैं। वहीं पुरुषों को संघर्ष की प्रेरणा देती द्रोपदी दिखाई देती है। इस सत्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि परंपराओं के फूहड़पन से प्रयोग के कारण स्त्रियों की दशा बेहद चिंताजनक दिखाई देती है। इसकी आलोचना से काम नहीं चलेगा बल्कि इसके लिए सामाजिक अभियान चलाने की जरूरत है जिसमें गार्गी, अनुसूइया, भारती, गीता और द्रोपदी के आदर्श को सामने रखना होगा। लेकिन यह काम संघर्ष से नहीं अपितु शिक्षा और जाग्रति के माध्यम से होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि जिन दिनों भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के रूप में विश्व में स्वीकारा जाता था। तब भारत में इन दो केन्द्रों की सशक्तता ही विख्यात थी। उसका कारण इन दोनों केन्द्रों की मजबूती या कहें स्वावलंबन ही रहा था। जिस शिल्प, मेवा और मसालों की मांग विश्वभर में थी वह गांवों में ही पैदा होते थे और परिवार की प्रधान स्त्री थी। सत्ता मातृात्मक हुआ करती थी। समय के साथ यदि इसमें गिरावट आई तो भारत में गुलामी का घनघोर अंधेरा छा गया।

भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के रूप में विश्व में स्वीकारा जाता था। तब भारत में इन दो केंद्रों की सशक्तता ही विख्यात थी। उसका कारण इन दोनों केंद्रों की मजबूती या कहें स्वावलंबन ही रहा था। जिस शिल्प, मेवा और मसालों की मांग विश्वभर में थी वह गांवों में ही पैदा हाते थे और परिवार की प्रधान स्त्री थी।

भारत के सत्य को गांधीजी ने अपनी देशव्यापी यात्राओं में भांपा और अभियान चलाया। आजादी के बाद भारत में ग्राम स्वराज की कल्पना को आकार देने के लिए ही विभिन्न कानून बनाए गए तथा मध्यप्रदेश इस दिशा में काम करने वाला अग्रणी प्रांत है। वर्तमान सरकार ने भी गांधीजी के अनुरूप ग्राम स्वराज्य की कल्पना को आकार देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए इसमें दोनों बातें शामिल हैं एक तो ग्राम का शासन ग्राम में, गांवों के अधिकार गांवों को और दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत। उम्मीद की जा रही है कि सरकार 19 नवंबर को श्रीमती इंदिराजी की जन्मतिथि तक अपनी योजनाओं को पूरी तरह लागू कर लेगी।

● रमेश शर्मा

महिलाओं के सशक्तिकर संकल्प लि

दुनिया में भारत अकेला देश है, जहां अनादिकाल से समाज में महिलाओं का स्थान अग्रणी रहा है। वे स्वावलंबी रही हैं, सम्मानित रही हैं, आत्मनिर्भर और अग्रणी रही हैं। यह बात अलग है कि बीच के कालखंड में इतिहास के संदर्भ कुछ अलग मिलते हैं। लेकिन आजादी के बाद से सरकार ने पुन: नारी के स्वालंबन और स्वाभिमान की दिशा में अनेक अभियान चलाए, कानून बनाए। समाज नारी को अग्रणी माने, वे आत्मनिर्भर बनें इसके लिए योजनाएं भी बनीं। यह स्वतंत्रता के बाद कानूनी और व्यवहारिक प्रावधानों का ही परिणाम है कि आज भारत में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपना अग्रणी स्थान बना रही हैं।

इस संकल्प को गति देने के लिए मौजूदा सरकार इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आठ मार्च से पुन: अभियान चलाने जा रही है। सरकार में आने से पहले सत्ताधारी दल कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जिन प्राथमिकताओं पर काम करने का संकल्प व्यक्त किया था उसमें महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन विषय प्रमुखता से था। इसीलिए सरकार में आने के तुरंत बाद ही सरकार ने इस दिशा में काम करना आरंभ किया। इसके लिए 30 जनवरी को अपने

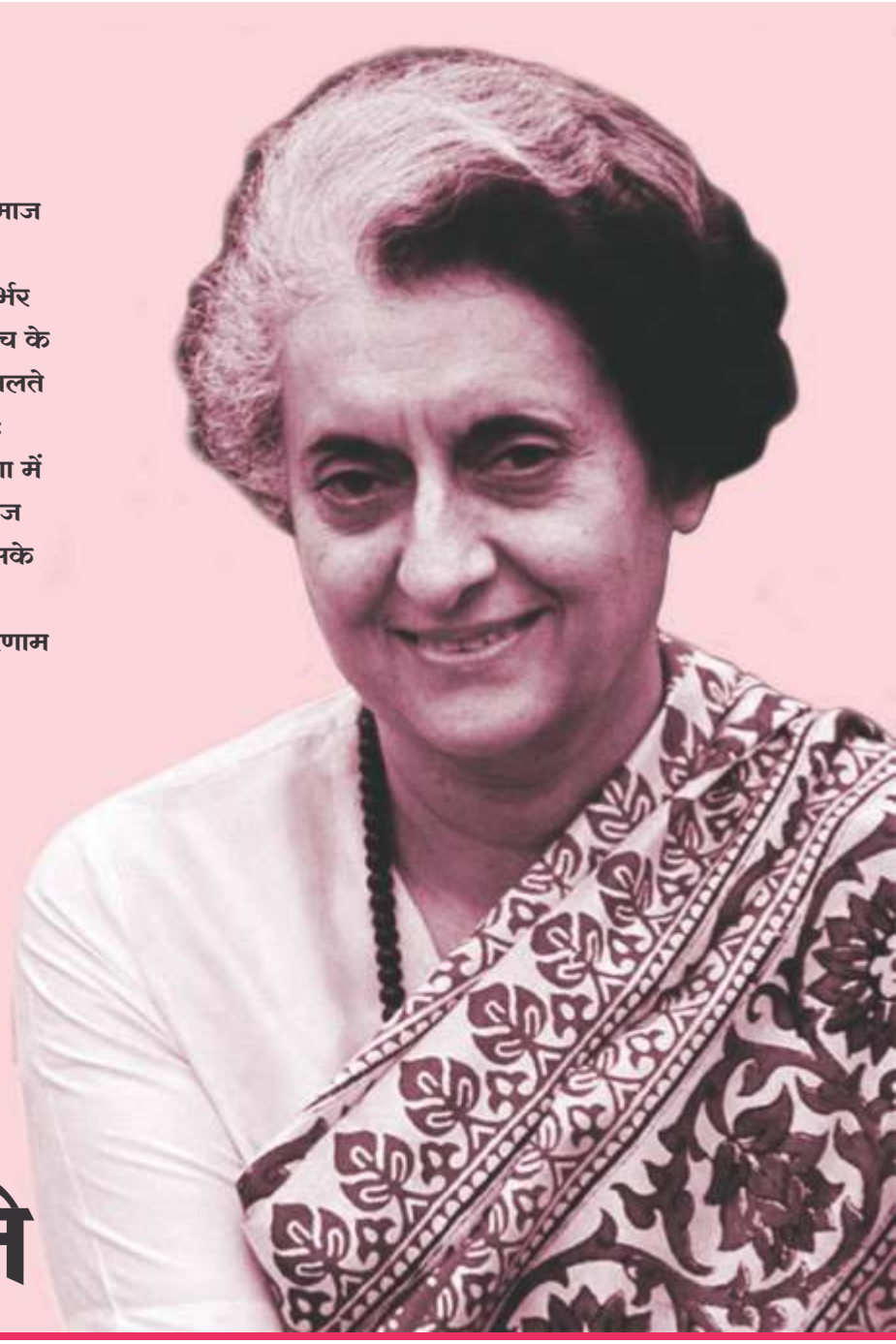

भारत अकेला देश है, जहां अनादिकाल से समाज में महिलाओं का स्थान अग्रणी रहा है। वे स्वावलंबी रही हैं, सम्मानित रही हैं, आत्मनिर्भर और अग्रणी रही हैं। यह बात अलग है कि बीच के कालखंड में इतिहास के संदर्भ कुछ अलग मिलते हैं। लेकिन आजादी के बाद से सरकार ने पुन: नारी के स्वावलंबन और स्वाभिमान की दिशा में अनेक अभियान चलाए, कानून बनाए। समाज नारी को अग्रणी माने, वे आत्मनिर्भर बनें इसके लिए योजनाएं भी बनीं। यह स्वतंत्रता के बाद कानूनी और व्यवहारिक प्रावधानों का ही परिणाम है कि आज भारत में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपना अग्रणी स्थान बना रही हैं।

रण का
लिया सरकार ने

पंचायत प्रतिनिधि समागम आयोजन में यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना प्रस्तुत हुई तो 23 फरवरी को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित प्रतिनिधियों के समागम में भी यह विषय प्राथमिकता से आया।

गांव विकास की या राष्ट्र की रीढ़ है। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार और सामाजिक जागरूकता के कारण प्रदेश की महिलाएं विकास में भागीदार हो रही हैं। लेकिन गांवों में अभी बहुत काम करना बाकी है। यह काम सभी स्तरों पर आरंभ होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सार्वजनिक और कार्यस्थल पर एक ऐसा वातावरण देना जिसमें महिलाएं उत्साह और निर्भयता के साथ अपना काम कर सकें। इसके साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम होना चाहिए।

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी के नेतृत्व में और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल जी के मार्गदर्शन में जो योजनाएं

तैयार की हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी विषयों पर अभियान चलने वाला है। यद्यपि यह कार्यक्रम पूरे साल चलने वाला है फिर भी दो तिथियों का निर्धारण कुछ इस प्रकार किया गया है कि समाज में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता आए और सरकार के साथ-साथ समाज की भागीदारी भी बढ़े। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानि आठ मार्च को सबला दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह पंचायतों का दायित्व है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ग्राम सभाओं का आयोजन करें, जिसमें महिलाओं के स्व-सहायता समूह, अन्य सामाजिक संगठन प्रतिनिधियों की भागीदारी अधिक से अधिक हो। इस समागम में महिलाओ की रुचि, क्षमता और कौशल के अनुरूप ऐसे कामों को जोड़ा जायेगा जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य परिक्षण तथा पौष्टिक आहार की जानकारी दी जायेगी।

सरकार की यह कोशिश भी है कि गांवों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके कौशल के अनुरूप स्थानीय उत्पादन के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके अनेक लाभ हैं। एक तो महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। दूसरे गांवों की जरूरत गांवों में पूरी होगी। इस योजना में गांव की जरूरत के साथ ऐसे कामों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनका कच्चा माल स्थानीय तौर पर ही उपलब्ध हो सके। इस प्रकार गांव में महिलाओं के निजी, सामूहिक एवं स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री यदि स्थानीय जरूरत से ज्यादा उत्पादित होगी तो उसके लिए सरकार मार्केट उपलब्ध कराने में भी सहायता करेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने सख्ती के साथ निर्देश दिए हैं कि सरकारी खरीद में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित और उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाए। सरकार के प्रत्यन और मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब इस बात की उम्मीद हो गई है कि इस साल का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सही मायने में मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए सबला दिवस के रूप में ही सामने आयेगा।

इसके बाद अगला कदम 19 नवम्बर को प्रियदर्शिनी महिला दिवस के रूप में मनाया जायेगा। सरकार ने महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण का यह अभियान एक समयबद्ध संकल्प के रूप में लिया है। सरकार की कोशिश है कि जो वचन दिए गए हैं, या जो काम आरंभ किए गए हैं उनका अनुपालन समय-सीमा में हो जाए। 19 नवम्बर को इसकी दूसरी समीक्षा की जायेगी। 8 मार्च से सरकार ऐसा अभियान चलाने वाली है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कोई महिला छूट न जाए। 19 नवम्बर को प्रियदर्शिनी महिला सभाएं होंगी। ग्रामसभा करके इन कार्यों की समीक्षा की जायेगी। यदि कहीं कोई चूक

ग्राम : भीमबयड़ा, गतिविधि : सिलाई मशीन दुकान, जिला : अलीराजपुर।

मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रांत है। इतिहास गवाह है कि यह देश में पहला प्रांत है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान लागू किया था। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्व-सहायता समूहों की उत्पादकता एवं सक्रियता में भी मध्यप्रदेश का स्थान देश में अलग है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि महिला स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी मध्यप्रदेश देश में अग्रणी प्रांत होगा।

होगी, जरूरत होगी तो उसे मौके पर ही पूरा किया जायेगा। मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रांत है। इतिहास गवाह है कि यह देश में पहला प्रांत है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान लागू किया था। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्व-सहायता समूहों की उत्पादकता एवं सक्रियता में भी मध्यप्रदेश का स्थान देश में अलग है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि महिला स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण को लेकर मध्यप्रदेश देश में अग्रणी प्रांत होगा।

● डॉ. विद्या शर्मा

गरीबी से जंग जीतकर
लखपति बनी रीता शाक्या

रीता शाक्या
शारदा स्व-सहायता समूह : अध्यक्ष
पति : श्री कमल सिंह शाक्या
ग्राम : नरखेड़ा
ब्लॉक : सांची
जिला : रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन जिले के ग्राम नरखेड़ा गांव की रीता शाक्या शारदा स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष हैं। श्रीमती रीता शाक्या और उनके पति अतिथि शिक्षक भी हैं। जब उनसे उनकी विकास यात्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी शादी होने के बाद घर की स्थिति बहुत खराब थी। उसी समय मुझे जुड़वा बच्चे हुए। बच्चे दूध को तरस गए। हम लोग बहुत ही कठिन दौर में थे।

उसी समय हमें आजीविका मिशन के द्वारा स्व-सहायता समूह बनाने की जानकारी मिली। मैं समूह से जुड़ी तो गांव के लोगों ने मेरा मज़ाक उड़ाया, पर मेरे पति मेरे साथ थे। धीरे-धीरे हमारे समूह की संख्या बढ़ने लगी। समूह से ग्राम संगठन बन गया।

अब मैं बुक कीपर होने के साथ कृषि सखी भी हूँ। कृषि सखी के रूप में समय-समय पर ट्रेनिंग देने भी जाती हूं। अब हमारा समूह इतना सक्रिय हो गया है कि हम मिलकर गांव की समस्या को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे गांव में बिजली काट दी गई थी क्योंकि बिल जमा नहीं हुए थे। हम सभी समूह की महिलाओं ने गांव वालों से मिलकर बात की और बिजली विभाग की ढाई लाख रुपये की वसूली करवाई। हमने जिला कलेक्टर को आवेदन दिया उसके बाद गांव में डी.पी. लगवाई गई और बिजली वापस आ गई, हमारा गांव रौशन हो गया। हम सभी महिलाओं ने मिलकर एक और काम किया वो था शराब पर अंकुश हमने गांव की कलारी बंद करने के लिए कलेक्टर साहब को प्रस्ताव दिया, हमारे प्रस्ताव पर विचार किया गया

और हमारे गांव की कलारी हटवा दी गई। इससे हमारे गांव की महिलाएं बहुत खुश हुईं। समूह क्या-क्या कार्य करता है यह पूछने पर रीता शाक्या ने बताया कि समूह की महिलाएं, फाइल पेड, सेनेटरी नेपकिन, दोना पत्तल बनाने का कार्य करती हैं। हमारे समूह को शासकीय स्कूल यूनिफार्म सिलने का काम भी मिला है। मैं और मेरे पति दोनों अगरबत्ती बनाते हैं और इसके अलावा अतिथि शिक्षक भी हैं। मेरी आय 12 हजार रुपये है और वार्षिक आय डेढ़ से दो लाख तक हो जाती है। जिस समाज से हम उपेक्षित थे अब वे ही हमारा सम्मान करने लगे हैं।

● ज्योति राय

आर्थिक स्वावलम्बन से पंचायत प्रतिनिधि तक का सफर

मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन के सहयोग से महिलाओं ने आर्थिक स्वावलम्बन के साथ पंचायत प्रतिनिधित्व भी प्राप्त किया है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदमों के कई ऐसे प्रमाण और विकास गाथाएं हैं, अनेक अनुकरणीय उदाहरण हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों जिन्होंने विपन्न परिस्थिति से उबरकर आर्थिक समृद्धि का इतिहास रचा है। स्व-सहायता समूह की इन स्वावलम्बी महिलाओं ने अब सामाजिक चेतना की ओर भी कदम बढ़ा दिये हैं। कई स्व-सहायता समूह की महिलाएं पंचायत प्रतिनिधि बनकर अपने गांव, अपनी पंचायत और प्रदेश विकास में महती भूमिका निभा रही हैं। उन्हीं अग्रणी महिलाओं में से हैं कमली पटेलिया और गेंदा सिंह। हमने मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए उनसे बातचीत की। प्रस्तुत है इसी बातचीत पर आधारित यह रिपोर्ट।

कमली पटेलिया
जिला : झाबुआ
सरपंच : श्योपुर करियादे

झाबुआ जिले के श्योपुर करियादे की कमली पटेलिया ने पहले स्व-सहायता समूह बनाया। समूह अध्यक्ष बनीं, आर्थिक स्वावलम्बन के बाद इनकी विकास यात्रा आगे बढ़ी। वर्ष 2015 में सरपंच का दायित्व संभाला। अनुसूचित जनजाति श्रेणी की श्रीमती कमली पटेलिया की यह यात्रा संघर्ष भरी यात्रा है। बात करने पर उन्होंने बताया कि मैं मात्र 8वीं तक पढ़ी थी और जिस परिवार में मेरी शादी हुई उसमें 30-35 लोग हैं। हम मजदूरी करके जैसे-तैसे जीवन बसर करते थे। कई बार तो भूखे रहने की तक नौबत आ जाती थी। कमली बताती हैं कि जब मेरी शादी हुई तब मेरे पति पढ़ाई कर रहे थे। मैं बहुत मुश्किल में थी तभी

आजीविका मिशन वालों ने हमें बताया कि हम समूह का निर्माण करें, बैंक में खाता खोलें और लोन लेकर अपने काम को आगे बढ़ाएं। हम महिलाओं ने मिलकर दस लोगों का समूह बनाया। मैंने 50 हजार लोन लिया और चूजे खरीदें, फिर मुर्गे की बिक्री की। इससे अच्छा लाभ मिला। यह देखकर हमारे अड़ोस-पड़ोस और गांव वाले जो पहले हमारा मजाक उड़ाते थे। अब बातचीत करने लगे और समूह से जुड़ गए इस तरह हमने 25 स्व-सहायता समूह बनाए।

हमने ग्राम संगठन बनाया। स्वच्छता मिशन से जुड़कर लोगों को समझाया और उनके यहां शौचालय बनवाया। वर्ष 2009 में हमारे गांव के समूह ने सेनेटरी नेपकिन निर्माण का कार्य किया, जिसे पहले समूह की महिलाओं ने उपयोग किया, फिर गांव की महिलाओं को इसके उपयोग के लिए प्रेरित किया जिससे महिलाओं को अस्वच्छता से होने वाली बीमारियों से बचाया गया।

इस तरह मैं समूह और ग्राम संगठन में व्यवसाय के साथ गांव के अन्य छोटे-छोटे काम भी करती थी। हमने प्रयास करके ढाई लाख रुपये का यूनिफॉर्म सिलने का कान्ट्रेक्ट लिया। अब मेरे घर की हालत सुधर गयी थी। पति स्कूल में पढ़ाने लगे।

गांव में जब सरपंच के चुनाव होने वाले थे तो समूह की महिलाएं और गांव की अन्य महिलाओं ने कहा कि तुम आगे बढ़कर हमारे सारे काम करती हो, हम सभी को काम से जोड़ा, आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं और परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं।

यह सब तुमने किया है तो अब हम तुमको ही अपना सरपंच बनायेंगे। जब सबने कहा तो मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा और मैं जीतकर आयी। कमली पटेलिया आत्मविश्वास भरे लहजे में कहती हैं अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी, सरपंच बनने के बाद मैंने सड़क निर्माण, गांव की स्वच्छता, शौचालय निर्माण के कार्य किये। गांव को खुले में शौच से मुक्त करवाया।

कार्य करने में कोई चुनौती आयी थी क्या? यह पूछने पर कमली जी के चेहरे पर विजय मुस्कान थी। बोली मुश्किलें तो थीं... पहले मेरे चुनाव लड़ने पर पुरुषों ने कहा हम महिला को नहीं बनने देंगे। यह गांव का अपमान होगा। हमारे स्व-सहायता समूह की महिलाओं

कमली पटेलिया आत्मविश्वास भरे लहजे में कहती हैं अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी, सरपंच बनने के बाद मैंने सड़क निर्माण, गांव की स्वच्छता, शौचालय निर्माण के कार्य किये। गांव को खुले में शौच से मुक्त करवाया। कार्य करने में कोई चुनौती आयी थी क्या? यह पूछने पर कमली जी के चेहरे पर विजय मुस्कान थी। बोली मुश्किलें तो थीं... पहले मेरे चुनाव लड़ने पर पुरुषों ने कहा हम महिला को नहीं बनने देंगे। यह गांव का अपमान होगा। हमारे स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने भी लोगों का जमकर सामना किया और मुझे सरपंच बनाने के बाद ही चैन की सांस ली।

ने भी लोगों का जमकर सामना किया और मुझे सरपंच बनाने के बाद ही चैन की सांस ली।

हमारा गांव जंगल में है, काफी अन्दर है। सबसे बड़ी समस्या थी महिलाओं को जच्की के समय अस्पताल पहुंचाने की, जननी एक्सप्रेस वाहन लेकर आने में ड्रायवर डरते थे। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर ने ड्राइवर के साथ गार्ड भेजना शुरू किया। बुलाने पर हमारे गांव में भी जननी एक्सप्रेस आने लगी। अब हमारी गर्भवती माता-बहनों के जीवन की सुरक्षा संभव है। एक अन्य समस्या को दूर करने के

कमलीजी ने बताया कि गांव के बच्चे और महिलाओं को अच्छा पोषण आहार मिले इसके लिए 17 ट्यूबवेल लगवाये और खेत में हरी सब्जी लगाई। सब्जियों का इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि गांव के लोग इसे भरपूर खाने के बाद बची सब्जी को बेचकर लाभ भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा गांव में आम, जामुन, अमरूद, केले, बेर आदि फल के पौधे लगवाये ताकि बच्चों को फल खाने को मिलें।

बारे में कमली ने बताया कि हमारे यहां पुनी मखना को कैंसर हो गया था, हमारे समूह की बहनों ने 10 हजार रुपये देकर इलाज करवाया, फिर बीमारी सहायता योजना से दो लाख रुपये दिलवाये, जिससे पुनी मखना का इलाज हो पाया। कुपोषण मुक्ति और पोषण आहार के लिए कुछ किया है क्या, पूछने पर कमलीजी ने बताया कि गांव के बच्चे और महिलाओं को अच्छा पोषण आहार मिले इसके लिए हमने 17 ट्यूबवेल लगवाये और खेत में हरी सब्जी लगाई। सब्जियों का इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि गांव के लोग इसे भरपूर खाने के बाद बची सब्जी को

बेचकर लाभ भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा गांव में आम, जामुन, अमरूद, केले, बेर आदि फल के पौधे लगवाये ताकि बच्चों को फल खाने को मिलें।

नशामुक्ति के लिये प्रयास

नशामुक्ति से जीत की कहानी बताते समय कमली जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक देखी गयी। उन्होंने बताया कि हमारे समूह की एक सदस्य अक्सर बैठक में नहीं आती थी, मेरे पूछने पर कई बार तो टाल गयी। जब मैंने ज्यादा पूछा कि आखिर क्यों नहीं आती तब उसने बताया कि मेरा पति शराब पीकर मुझे मारता है।

हम सभी महिलाओं ने तय किया कि यदि हम गांव में शराब बनाना ही बंद करवा देंगे तो शराब आयेगी कहां से। हमने कलेक्टर के नाम अर्जी दी और एक पत्र अपने पास रखा और हम सभी महिलाओं ने महाकाली का रूप धरा, हाथ में डंडा लेकर हमने गांव की सभी शराब बनाने की भट्टियां तोड़ डाली। हमें देखकर पुरुष इतने डर गए थे कि कोई भी सामने नहीं आया। उसके बाद से हमारे गांव में शांति है। हमारे गांव की बहु-बेटियों को मारने-पीटने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। निर्माण कार्यों को लेकर कमलीजी ने बताया कि बतौर सरपंच उन्होंने, गांव की आंतरिक सड़क, नाली निर्माण, खेत-सड़क का कार्य करवाया है। बच्चों को स्कूल भेजने और आंगनवाड़ी व्यवस्था की वे खुद भी निगरानी करती हैं। झाबुआ जिले के मुख्य सड़क से अन्दर बसे गांव करियादे की सरपंच ने अपनी मेहनत से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सबल किया, सरपंच के रूप में गांव की महिलाओं की उम्मीद पर शत-प्रतिशत खरी उतरीं। स्त्री सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व का यह अनूठा उदाहरण मध्यप्रदेश के गांवों के लिए अनुकरणीय उदाहरण है।

● **आशीष शर्मा**

वनांचल से महिला सरपंच ने लिखी अनुकरणीय सफल कहानी

गेंदा सिंह
सरपंच
गांव : बिजौर
जिला : शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल जिले के गांव बिजौर की अनुसूचित जाति वर्ग की सुश्री गेंदा सिंह की गाथा वनांचल से उपजे विकास की अनुकरणीय सफल कहानी है। जब हमने पंचायिका के लिए सरपंच सुश्री गेंदा सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि जब मेरी शादी हुई तब पति बेरोजगार थे। घर की माली हालत इतनी खराब थी कि हम मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे। अल सुबह उठकर महुआ बीनने जाते थे, उसे बेचकर हमारा मुश्किल से गुजारा होता था। फिर स्व-सहायता समूह से जुड़े तो लगा हमें संजीवनी मिल गयी। मैंने अपनी बचत महुआ बेचकर जो पैसे हमें मिलते थे उसमें से की। शुरू में 10 लोगों का समूह बनाया फिर 2013 में महिलाओं को आजीविका समूह से जोड़ा और अब हमारे 28 समूह बन गये, इससे 300 महिलाएं जुड़ी हैं। सभी 28 समूह सक्रिय रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। इन समूहों में कोई मछली पालन, कोई मुर्गी पालन, बकरी पालन, सिलाई सेंटर, खाद वितरण, ग्रामीण राशन की दुकान में कोटा वितरण का कार्य कर रही हैं।

चुनाव हुए तो सबने सलाह दी कि तुम चुनाव लड़ो और मैं जीतकर आई।

सरपंच बनने के बाद हमने गांव को खुले में शौच से मुक्त किया, गांव के सभी रास्ते बनाए। आवास आवंटन पूर्ण है। शत-प्रतिशत पेंशन दी जा रही है। हमने 10 सीमेंट कांक्रीट रोड, दस कपिलधारा कुओं का निर्माण, मेड़ बंधान, नवीन तालाब निर्माण, सबको पानी, नल जल से घर-घर पानी पहुंचाने का कार्य किया। गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारे यहां पंचायत में क्षीरसागर आश्रम है जो पर्यटन स्थल है उसके पुनर्रुद्धार और रेलिंग का कार्य किया गया। महिलाओं की भागीदारी पूछने पर गेंदा सिंह बोलीं, हमारे यहां की महिलाएं बहुत सक्रिय हैं। यहां ग्राम सभा में सबसे ज्यादा प्रतिशत महिलाओं का है। कोई भी योजना बनाना हो या निर्माण कार्य महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं।

नई सरकार को लेकर पूछने पर गेंदा सिंह ने कहा बच्चियों के विवाह में सरकार ने जो राशि बढ़ाकर 51 हजार की है, वो बहुत ही अच्छा किया है। हमारी पंचायत से भी 8-10 फार्म डाले हैं। इसके अलावा नई सरकार से हमें विकास को लेकर नई उम्मीदें तो है ही पर मेरी एक मांग है कि यदि यहां कि मुरना नदी पर डेम बन जाए तो हजारों किसानों को फायदा होगा।

श्रीमती गेंदा सिंह सरपंच के दायित्व, स्व-सहायता समूहों के समन्वय, के साथ जैविक खेती भी करती हैं। घर पर ही खाद बनाती हैं। इससे उनकी कृषि आय लगभग डेढ़ लाख रुपये है। यदि गेंदा सिंह जैसी सजग समर्पित और संकल्पित महिलाएं पंचायतों की कमान संभाल लें तो प्रदेश के विकास की तस्वीर बदल जायेगी।

मध्यप्रदेश के स्व-सहायता समूहों के

रोज़गार से स्थाई आजीविका की ओर बढ़ते कदम

मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। हृदय स्थल पर होने के कारण प्रदेश की देश के विकास में अहम भूमिका है। देश के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण भारत समृद्ध हो। इसी को केन्द्र में रखकर गरीब परिवारों को स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित कर आजीविका के स्थाई अवसर उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना की गयी।

मिशन का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। मिशन का लक्ष्य है, गरीब परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार तथा कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, निर्धनता कम करना और मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की जीविका को स्थाई आधार पर बेहतर बनाना। इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अनुरूप मिशन मोड में कार्य किया गया।

आजीविका मिशन द्वारा विभिन्न स्तरों पर समर्पित सहायता संरचनाओं तथा संगठनों के माध्यम से सभी ग्रामीण परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करने, उनकी क्षमता वृद्धि करने, वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने, स्व-प्रबंधित आत्मनिर्भर संगठनों का गठन, रोजगार से जोड़ने, लाभकारी स्व-रोजगार और उद्यमों के माध्यम से गरीबी दूर करने का प्रयास किया गया।

इसी के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन द्वारा लगभग 2 लाख 29 हजार 947 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है।

इन समूहों से 26 लाख 43 हजार 903 से अधिक परिवार जुड़ गए हैं। बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों को अब तक 1 लाख 92 हजार 221 प्रकरणों में 2 हजार 598 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है। स्व-सहायता समूहों द्वारा महिला स्वावलम्बन की हजारों सफल गाथाओं ने विकास का इतिहास रचा है।

संगीता गौतम
माँ नर्मदा स्व-सहायता समूह
वर्ष : 2013, अध्यक्ष
जिला : बड़वानी
ब्लॉक : राजपुर
ग्राम : भिलवानी
शिक्षा : 12वीं
मोबा. : 8827081870

निर्धनता से समृद्धि की गाथा लिखी संगीता गौतम ने

प्रदेश के बड़वानी जिले के राजपुर ब्लॉक, भिलवानी की संगीता गौतम ने आर्थिक निर्धनता से समृद्धि की गाथा स्वयं लिखी है। वे ग्राम संगठन की अध्यक्ष हैं, बैंक मित्र हैं, चार गांवों की सशक्त सी.आर.पी. यानि समुदाय स्रोत व्यक्ति हैं। मात्र 12वीं तक पढ़ी संगीता जी ने हमें बताया कि एक समय था कि हम लोग अत्यंत गरीब थे। मेरे पति खेती कार्य करते थे।

मैं सिलाई करती थी। हमारा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था, फिर 2013 में मध्यप्रदेश आजीविका मिशन से जुड़ी गाँव की हम सभी तेरह महिलाओं ने मिलकर स्व-सहायता समूह बनाया, छोटी-छोटी बचत कीं और लोन लिया। आजीविका मिशन द्वारा हमें योजना का लाभ मिला और हमने अपना काम बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच मैंने बुक कीपर और बैंक सखी की ट्रेनिंग भी ले ली। अब मैं अनपढ़ बहनों को शासकीय लिखा-पढ़ी और बैंक के लेन-देन के कार्यों में मदद करती हूं। स्व-सहायता समूह के विस्तार को लेकर संगीता जी ने बताया कि हमने एक समूह से अपनी यात्रा शुरु की थी अब हमारे 22 समूह हैं और 250 परिवार इससे जुड़े हुए हैं। माँ नर्मदा स्व-सहायता समूह ने बैंक से दो लाख का लोन लेकर साबुन निर्माण का काम शुरू किया था, अब लोन चुका दिया गया है। हमारा समूह बड़वानी जिले का प्रमुख साबुन निर्माता समूह बन गया है।

हमारे साथ स्व-सहायता समूह से जुड़ी बहनों ने विभिन्न व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। उनके द्वारा आजीविका स्टोर, अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती, फूलबत्ती निर्माण, साबुन निर्माण, दोना-पत्तल निर्माण, सेनेटरी नेपकीन निर्माण, रेडीमेड कपड़ों की सिलाई, फोटोकॉपी की दुकान चलाना आदि कार्य किये जा रहे हैं।

संगीता जी का यह कहते हुए गला भर आया, जब उन्होंने बताया कि एक समय था जब मुझे सिलाई करके बहुत कम पैसे मिलते थे और अब हमने संकुल स्तरीय संगठन बना लिया है। इसमें हमें यूनिफॉर्म सिलने का ऑर्डर मिला है। संगीताजी अब न कमजोर हैं न ही विपन्न। वे अब ग्राम संगठन की अध्यक्ष हैं और समुदाय स्रोत व्यक्ति हैं। पूर्ण आत्मविश्वास से कहती हैं मेरी तीन बेटियां हैं। मैं अपनी बेटियों में एक को सीईओ, एक को डॉक्टर और एक को इंजीनियर बनाऊंगी ताकि वे समाज में बड़ा काम कर सकें।

मैं स्व-सहायता समूह से जुड़ी तो मेरे परिवार के दुख दूर हो गए हैं। अब मैं बीस हजार रुपये महीना कमाती हूं। हम बहनों ने मिलकर लखपति क्लब बना लिया है। वे गर्व से कहती हैं, हम अब बीपीएल नहीं हैं। मैं भी लखपति क्लब की एक सदस्य हूं। यह कहते समय संगीता का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था।

चंपा सिंह
स्व-सहायता समूह
जिला : अनूपपुर
तहसील : पुष्पराजगढ़
गांव : सोनिया मार
कार्य : मास्टर ट्रेनर
जैविक कृषि

असंभव को संभव कर दिखाया चंपा सिंह ने

सोनिया मार गांव के स्व-सहायता समूह की चंपा सिंह के दृढ़ निश्चय, मेहनत और लगन ने विपरीत परिस्थितियों में भी प्रगति के द्वार खोल दिये। चंपा सिंह अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। अपनी संघर्ष यात्रा में उन्होंने बताया कि जब वे मात्र 10 वर्ष की थीं तब पिता की मृत्यु हो गयी। घर में माँ और छोटा भाई था, मुश्किल से 8वीं तक पढ़ सकी और 17 वर्ष की उम्र में शादी हो गयी। मेरे ऊपर दु:ख का पहाड़ टूट पड़ा, जब शादी के दो महीने बाद ही पति की मृत्यु हो गयी तब आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तकलीफें एक साथ आन पड़ीं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, घर में 3 एकड़ जमीन थी पर उसमें उतनी अच्छी उपज नहीं होती है।

वर्ष 2013 में आजीविका मिशन के समूह से जुड़ी, सबसे पहले सिलाई की ट्रेनिंग ली और गांव के लोगों के कपड़े सिलने लगी, जैसे-तैसे गुजारा होने लगा। फिर मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या करूं की उपज बढ़ाई जाए। तब आजीविका मिशन के सहयोग से हमें जैविक कृषि से अच्छी फसल लेने की ट्रेनिंग दी गयी। मैंने ट्रेनिंग ली और अपनी जमीन पर खेती करने के साथ महिला किसानों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। मैं सी.आर.पी., समुदाय स्रोत व्यक्ति, मास्टर ट्रेनर बन गयी और पहले जिला स्तर पर तीन हजार किसानों को जैविक कृषि की ट्रेनिंग दी थी, फिर हरियाणा में 1500 किसानों को ट्रेनिंग दी और उत्तर प्रदेश में लगातार तीन वर्षों से ट्रेनिंग देने जा रही हूं।

अब चंपा सिंह की वार्षिक आय लगभग ढाई लाख रुपये है। वो अपने छोटे भाई को पढ़ाने के साथ परिवार की जिम्मेदारी पूर्ण कर रही हैं। उनका उद्देश्य क्या है पूछने पर बोलीं 'मेरे जैसी दीदियों को काम में लगातार आगे लाना।' अनुसूचित जनजाति वर्ग की चंपा सिंह ने यह साबित कर दिया कि कितना भी संकट आये, यदि महिला चाहे तो असंभव कुछ नहीं है।

आजीविका मिशन के समूह से जुड़ी, सबसे पहले सिलाई की ट्रेनिंग ली और गांव में ही लोगों के कपड़े सिलने लगी और जैसे-तैसे गुजारा होने लगा। फिर मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या करूं की उपज बढ़ाई जाए। तब आजीविका मिशन के सहयोग से हमें जैविक कृषि से अच्छी फसल लेने की ट्रेनिंग दी गयी। मैंने ट्रेनिंग ली और अपनी जमीन पर खेती करने के साथ महिला किसानों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। मैं सी.आर.पी. समुदाय स्रोत व्यक्ति, मास्टर ट्रेनर बन गयी और पहले जिला स्तर पर तीन हजार किसानों को जैविक कृषि की ट्रेनिंग दी, फिर हरियाणा में 1500 किसानों को ट्रेनिंग दी और उत्तर प्रदेश में लगातार तीन वर्षों से ट्रेनिंग देने जा रही हूं।

● जय ठकराल

बदलाव की ओर कदम...

बदलाव के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार

मध्यप्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की जनता से किए गए कई वादों को सरकार ने बहुत ही कम समय में पूरा कर जनता में अपने प्रति विश्वास को मजबूत बनाया है और अन्य वचनों को पूरा करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल विज्ञापन देना और घोषणा करना भर नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे यह सुनिश्चित करना है। बहुत जल्द मध्यप्रदेश केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि हकीकत में एक विकसित और समृद्ध मध्यप्रदेश बनकर उभरेगा यह मध्यप्रदेश सरकार का वादा है।

किसान हुआ कर्जमुक्त

"किसान किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। बिना किसानों के विकास के, प्रदेश का विकास संभव नहीं है। इसलिए प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम समय में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।"

- जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत 55 लाख किसानों के 2 लाख रुपये तक के फसल ऋण किए माफ।
- मुख्यमंत्री कमल नाथ ने दो घण्टे के अंदर सबसे पहले किसानों के कर्जमाफी के फैसले पर किये हस्ताक्षर।
- योजना से लगभग 50 हजार करोड़ रुपये फसल ऋण माफ होने का अनुमान।
- किसी भी राज्य की फसल ऋण माफी की सबसे बड़ी योजना।

सशक्त होते किसान

- आधुनिक तकनीक से मृदा और बीज के मुफ्त परीक्षण की सुविधा प्रदान कराई गई है।
- दो लाख रुपये मूल्य तक के कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
- आधुनिक तकनीक से सब्जियों, फसलों, औषधियों और फूल उगाने वाले उत्पादनकर्ताओं के पॉली हाउस और ग्रीन हाउसों का आकार 1000 से 5000 वर्गफीट

किसानों को मजबूत किये बिना मध्यप्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की नींव है। यह योजना मध्यप्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी।

युवाओं के लिये रोज़गार निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। निवेश आने से रोज़गार का निर्माण होता है और विश्वास से ही निवेश आता है। निवेश आए बिना रोज़गार के अवसर पैदा करना संभव नहीं है। जल्दी ही प्रदेश में निवेश आने का सिलसिला शुरू होगा।

राज्य की छवि का पैरामीटर पुलिस होती है। यह आवश्यक है कि बल के सदस्यों का मनोबल ऊँचा हो। नजरिया देश-प्रदेश की विविधतापूर्ण संस्कृति और स्वरूप के संरक्षण का हो। पुलिस समाज की रक्षक है। पुलिस को भविष्य की तकनीकों और सामाजिक चुनौतियों के अनुसार तैयारियां करने पर विशेष ध्यान देना होगा।

प्रदेश में 614 गौ-शालाएं हैं जो निजी क्षेत्र में संचालित हैं। अब तक एक भी शासकीय गौ-शाला संचालित नहीं है। अगले चार महीने के भीतर 1000 गौ-शालाएं खोलने का निर्णय लिया है। इससे एक लाख निराश्रित गौवंश की देख-रेख होगी।

भारत की आध्यात्मिक विरासत एवं दर्शन प्रणाली एक वैश्विक धरोहर है। इस धरोहर के संरक्षण, संवर्धन और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश-विदेश की बहुलतावादी संस्कृति के विकास को नये आयाम देने का काम अध्यात्म विभाग करेगा।

कमल नाथ
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

तक तय किया गया है। इसके लिए उन्हें ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में आदेश भी जारी किये जा चुके हैं।

ऊर्जा से उन्नति की ओर

"ऊर्जा किसी भी प्रदेश की उन्नति का स्रोत होती है, बिना ऊर्जा के प्रदेश की प्रगति रुक जाती है। प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए ऊर्जा बेहद आवश्यक है।"

- ऊर्जा विभाग के नए उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की स्थापना का आदेश जारी। वितरण केन्द्रों के लिए ट्रांसफॉर्मर और अन्य सामग्री आवंटित।
- आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे के निस्तारण के लिए एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के एच.आर. हेड की अध्यक्षता में समिति गठित।
- गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घण्टे बिजली प्रदान के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
- किसानों को 10 हॉर्स पावर तक के पम्पों के लिए आधी दरों पर बिजली देने के आदेश शीघ्र जारी किये जा रहे हैं, इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
- बिजली सप्लाई, ट्रांसफॉर्मर की बिजली फेल होने और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गलत बिजली बिल बनने की शिकायतों के लिए कॉल सेंटर बनाये गये हैं। इनकी शिकायत 1912 पर दर्ज की जा सकती है। इनके समय-सीमा में निराकरण के निर्देश जारी किये गये हैं।

सस्ती बिजली से रोशन प्रदेश

- सभी घरों में 100 यूनिट तक की बिजली खपत के लिए बिल सिर्फ 100 रुपये करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

युवाओं को मिले रोज़गार के नये अवसर

"पहले युवाओं को रोज़गार के लिए घर से दूर अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। प्रदेश सरकार ने युवाओं की समस्या का समाधान निकालकर उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, ताकि उन्हें नौकरी के लिए दर-दर न भटकना पड़े।"

- उद्योग नीति में संशोधन कर मध्यप्रदेश में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोज़गार देना किया अनिवार्य।
- प्रदेश में उन्हीं उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन और सब्सिडी आदि की छूट मिलेगी, जो स्थानीय युवाओं को

70 प्रतिशत रोज़गार देंगे।

- अब प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे रोज़गार के अवसर।
- प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करने और उन्हें रोज़गार के अवसर मुहैया कराने के लिए मोहना औद्योगिक क्षेत्र धार, अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र भोपाल, लेहगडुआ औद्योगिक क्षेत्र छिंदवाड़ा और जावरा औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में चार टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना।
- युवा स्वाभिमान योजना के माध्यम से युवाओं को 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराने के साथ-साथ कौशल विकास के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ओर एक कदम

''गांव वास्तव में राज्य के महत्वपूर्ण अंग हैं, बिना इनके विकास के राज्य का विकास संभव नहीं है। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।''

- ग्राम सभाओं में महिलाओं की विशेष भागीदारी हेतु 8 मार्च (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) को 'सबला महिला सभा' और 19 नवम्बर को 'प्रियदर्शिनी महिला सभा' का आयोजन किया जायेगा।
- तेंदूपत्ता संग्राहकों की प्रति बैग संग्रह राशि रुपये 2000 से बढ़ाकर रुपये 2500 प्रति बैग की गई है।
- प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के जनजातीय कलाकारों के नाम पर सम्मान देने के उद्देश्य से 'बादल भोई' और 'जनगण श्याम' के नाम पर पुरस्कारों के विज्ञापन जारी कर दिये गये हैं।
- अनुसूचित जनजाति के युवाओं के कौशल विकास के लिए जिला स्तर पर कोचिंग प्रारंभ।

शहरों का हो रहा विकास

''आर्थिक प्रगति के लिए प्रदेश के शहरों का विकास बेहद आवश्यक है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के शहरों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।''

- भोपाल बीआरटीएस की मौजूदा स्थिति के आकलन और संभावित सुधार के लिए मैनिट को नियुक्त किया गया है। फिलहाल बीसीएलएल द्वारा स्कूल बसों को बीआरटीएस ट्रेक पर कुछ शर्तों के साथ चलाने की इजाजत दी गई है।

TPDS को मिली मजबूती

- टीपीडीएस को मजबूत बनाने के लिए योजना पर काम प्रारंभ। उपभोक्ताओं के लिए एफपीएस युक्त 30 गोदामों का निर्माण और बेहतर निगरानी के लिए आईटी सिस्टम का निर्माण किया जाएगा।

सबको मिलता सामाजिक न्याय

''प्रदेश सरकार राज्य के हर एक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने और सामाजिक समानता में यकीन रखती है इसके लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।''

- वृद्धावस्था पेंशन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह की गयी।
- दिव्यांग महिला और सामान्य पुरुष के बीच विवाह को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई है।

बेटियों को मिला सम्मान

''प्रदेश सरकार ने किसान और युवाओं के साथ-साथ बेटियों का भी मान बढ़ाया है और उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं के अनुदान में वृद्धि की है, ताकि बेटियां खुशहाल जीवन जी सकें।''

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की अनुदान राशि 28,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये की।
- योजना की अनुदान राशि लाभार्थियों को मिलना प्रारंभ।

गरीबों को मिली खाद्य सुरक्षा

''प्रदेश सरकार गरीबों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वह गरीबों की समस्याओं को दूर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि गरीब परिवार अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर एक सुखद जीवन व्यतीत कर सकें।''

- मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के एक लाख 17 हजार पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रतिमाह 4 किलो दाल का वितरण।

गौ-संवर्धन की ओर एक कदम

''प्रदेश के निराश्रित गौवंश की देखभाल के लिए भी सरकार तत्परता के साथ कार्य कर रही है,

जिससे प्रदेश में गौ-वंश का संरक्षण हो सकेगा और इससे जुड़े लोगों को भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।''

- प्रदेश में गौ-वंश संवर्धन हेतु चार माह में 1000 गौ-शालाएं स्थापित करने का निर्णय, जिससे 40 लाख श्रम दिवसों का निर्माण होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
- बेसहारा गौ-वंश को अब मिलेगा आश्रय।

तनावमुक्त हुई पुलिस

''किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था का भार पुलिस के कंधों पर ही होता है, वह चौबीस घंटे लोगों की सेवा में मुस्तैद रहती है। इसलिए प्रदेश सरकार ने पुलिस बल को राहत प्रदान करने के लिए ''साप्ताहिक अवकाश'' जैसे निर्णय लिये हैं।

- पुलिस बल को तनाव मुक्त रखने के लिए उन्हें साप्ताहिक अवकाश देने की व्यवस्था।
- पुलिस बल में 50,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती और उनका आवास भत्ता बढ़ाकर 5,000 रुपये करने के प्रयास प्रारंभ।

बढ़ते पर्यटन के अवसर

''प्रदेश में पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई-नई नीतियां लागू कर रही है, ताकि प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके।''

- मध्यप्रदेश पर्यटन निगम के घाटे में चल रहे होटलों को निजी क्षेत्र में देने की प्रक्रिया प्रारंभ। 10 होटल 30 साल की लीज पर दिए जा चुके हैं। 11 अन्य होटलों का भी चयन कर लिया गया है।
- 10 हेरिटेज भवन निजी क्षेत्र को देने के लिए चिन्हित। भोपाल स्थित मिंटो हॉल को हेरिटेज कन्वेंशन सेंटर में बदला गया।

खेल को मिला प्रोत्साहन

''प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश से अच्छे खिलाड़ी प्रशिक्षित होकर निकलें और विश्व में देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करें।''

- जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जिला खेल अधिकारी का नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी बनाया गया। वह खेल विभाग के पदेन अतिरिक्त निदेशक भी होंगे।
- राज्य स्तरीय मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कोचिंग और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी के लिए सभी तरह का सहयोग प्रदान करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
- यह भी आदेश दिया गया है कि भविष्य में सभी खेल प्रतियोगिताओं में महिला खिलाड़ियों के साथ महिला खेल अधिकारी या महिला कोच को भेजा जाये।

प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत को किया संरक्षित

''मध्यप्रदेश की धरती अनेक ऋषि-मुनियों की तपोभूमि है। यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य मध्यप्रदेश सरकार बखूबी कर रही है।''

- भारत की आध्यात्मिक विरासत को संजोने और संरक्षित करने के लिए अध्यात्म विभाग का गठन।
- मंदिर के पुजारियों का मानदेय तीन गुना बढ़ाया।
- विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अब यह राशि 1560 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये की गई।
- प्रदेश के धार्मिक महत्व और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री रामराजा तीर्थस्थल ओरछा में 95.86 लाख रुपये से तीर्थ यात्री सेवा सदन स्वीकृत।
- साथ ही चित्रकूट व नलखेड़ा में तीर्थ स्थल सदन की स्वीकृति।
- 3600 प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से कुंभ स्नान के लिए पांच दिवसीय तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की गई।

पंचायती राज संस्थाओं को बनाया जायेगा अधिकार सम्पन्न

जनपद पंचायत सिहावल के 2706 किसानों के 12 करोड़ 64 लाख रुपये के फसल ऋण माफ

किसानों की खुशहाली में ही प्रदेश की खुशहाली

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने सिहावल एवं बहरी तहसील मुख्यालय पर किसानों को जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। योजना अंतर्गत तहसील सिहावल के 1496 किसानों के 6 करोड़ 90 लाख रुपये तथा तहसील बहरी के 1210 किसानों को 5 करोड़ 73 लाख रुपये के ऋण माफ किये गये हैं। इस अवसर पर पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों की खुशहाली से ही प्रदेश का विकास संभव है।

अगर प्रदेश के किसान सुखी रहेंगे तो हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अपने वचन के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने शपथ लेते ही सबसे पहले किसानों की ऋण माफी की फाइल पर हस्ताक्षर किये। किसानों के हित के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जायेगी। प्रदेश का विकास करने में सरकार किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। वचन पत्र की हर बात पर अमल होगा। प्रदेश सरकार हर वर्ग के विकास के लिये प्रतिबद्ध है।

प्रदेश सरकार हर वर्ग के विकास के लिये प्रतिबद्ध है। सरकार प्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहती है। पिछले डेढ़ दशक में किसानों की ऋणमाफी का कार्य नहीं हो सका जो मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पद की शपथ लेते ही पूरा कर दिया है। इस योजना के तहत किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जा रहा है।

सरकार प्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहती है। पिछले डेढ़ दशक में किसानों की ऋणमाफी का कार्य नहीं हो सका जो मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पद की शपथ लेते ही पूरा कर दिया है। इस योजना के तहत किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने वचनों को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दी है। इसी तरह सामाजिक पेंशन योजना अंतर्गत राशि को बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है जिसे क्रमशः बढ़ाकर एक हज़ार रुपये किया जायेगा। किसानों के बिजली के बिल को आधा कर दिया गया।

युवाओं के विकास के लिये भी सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्हें रोज़गार के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जायेंगे। गरीबों तथा वंचित वर्गों के विकास के लिये सरकार कोई कमी नहीं रहने देना चाहती।

लिलवार और सिहौलिया में गौ-शाला का भूमिपूजन

पंचायत मंत्री श्री पटेल ने ग्राम पंचायत लिलवार और सिहौलिया में गौ-शाला का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1000 ग्राम पंचायतों में गौ-शाला निर्माण के लिये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इससे एक ओर जहाँ गौ-वंश की रक्षा होगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा उसके साथ ही किसानों के फ़सल की रक्षा भी होगी। श्री पटेल ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में ज़मीन की उपलब्धता के आधार पर गौ-शालाओं का निर्माण किया जायेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पंचायत प्रतिनिधियों को सुदृढ़ बनाने की पहल की है। पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाया जायेगा। पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाना मतलब प्रजातंत्र को मजबूत बनाना है। पंच-परमेश्वर योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना किया जा रहा है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को मूर्त रूप प्रदान किया जायेगा। प्रदेश के विकास का रास्ता गाँवों से होकर ही जाता है, उसमें कोई कमी नहीं रखी जायेगी।

पंचायत मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हितग्राहीमूलक योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाये।

लोगों को सहज ढंग से योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, उन्हें अनावश्यक रूप से अपने कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़े। उन्होंने अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए। योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। लापरवाही करने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कार्यक्रम में अध्यक्ष जनपद पंचायत सिहावल श्रीमान सिंह, जिला पंचायत सदस्य नरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर डी.पी. वर्मन, उपखण्ड अधिकारी सिहावल आर. के. सिन्हा, रामनारायण सिंह, विनय सिंह, विनय वर्मा, हरिहर प्रसाद सोनी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं कृषकगण उपस्थित रहे।

● राजकुमार पटेल

बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए
बाल हितैषी पंचायत

बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। बच्चों के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि समाज में वातावरण निर्मित हो और बाल विकास के सभी पक्षों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाये। बच्चों के विकास के लिए आधारभूत योजना बने इसी उद्देश्य से ग्वालियर में केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में बाल हितैषी पंचायत कार्यशाला का आयोजन किया गया।

ग्वालियर में 26 से 27 फरवरी तक आयोजित इस कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश श्रीमती गौरी सिंह, संचालक पंचायत राज संचालनालय श्रीमती उर्मिला शुक्ला तथा अन्य संबद्ध अधिकारियों द्वारा कार्यशाला में मार्गदर्शन दिया गया।

पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार, NIRD एवं PR तथा UNICEF के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस दो दिवसीय कार्यशाला में लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। भाग लेने वालों में मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, केरल के सरपंचों तथा SIRD, KILA, NIRD हैदराबाद आदि के प्रतिनिधियों तथा वक्ताओं ने उद्बोधन दिये और अपने-अपने राज्यों में किये जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गयी। देश की कई ग्राम पंचायतों द्वारा मॉडल प्रस्तुत किये गये।

इस कार्यशाला में मुख्य बात यह रही कि ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में बच्चे अपने विकास और अपने हित से संबंधित मुद्दों को पंचायत के माध्यम से रख सकेंगे।

भारत UNCRC (United National Convention on the right of Child) का प्रमुख सदस्य है। भारत ने 2004 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना भी तैयार की थी।

उल्लेखनीय है कि बाल अधिकारों का पालन तभी संभव है जब स्थानीय स्तर पर बिना किसी भेदभाव के बच्चों के अधिकारों के प्रति लोगों में समझ विकसित हो और फिर वे इस हेतु आवश्यक प्रबंधन करें। इसी आधार पर बाल अनुकूल पंचायत की अवधारणा निर्मित हुई है।

इसमें बालकों को प्रदान किये गये सभी अधिकार प्रदान किये जायेंगे। जिसमें प्रत्येक बालक और बालिका अपने जीवन यापन, विकास, सहभागिता और सुरक्षा संबंधित अधिकारों का उपयोग कर सकें। बाल अनुकूल स्थानीय योजनाओं के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समाज में अनुकूल वातावरण बने और किसी भी स्तर पर कोई भी बालक अपने हित लाभों से वंचित ना रहे। योजनाएं स्थानीय बाल हित को ध्यान में रखकर ही बनायी जावें ताकि प्रत्येक बच्चा इसमें लाभ प्राप्त कर सके। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के नवीन दिशा निर्देशों के तहत ग्राम पंचायतों को बाल अनुकूल वातावरण मिलेगा और वे अपनी पंचायत को बाल हितैषी पंचायत के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे।

28 हजार से बढ़कर 51 हजार रुपये हुई
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की राशि

परिवार के निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के लिए योग्यता, शारीरिक व मानसिक परिपक्वता आने पर लड़के और लड़की का विवाह संस्कार कराया जाता है। शादी-विवाह में सबसे महत्वपूर्ण कन्यादान की रस्म होती है। कन्यादान का सही अर्थ होता है, जिम्मेदारी को सुयोग्य हाथों में सौंपना, शादी से पहले तक माता-पिता कन्या के भरण-पोषण, विकास, सुरक्षा, सुख-शान्ति, आनन्द-उल्लास आदि का प्रबंध करते हैं, अब वह प्रबन्ध जिससे उस लड़की की शादी होती है, वो और उसके परिवार वाले करते हैं। इसका अर्थ होता है कन्या अर्थात् लड़की का दान करना। ऐसी मान्यता है कि हर माता-पिता को कन्यादान जरूर करना चाहिये। कन्यादान के तहत पिता पुत्री के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को वर को सौंप देता है। हालांकि इससे पिता पुत्री का रिश्ता समाप्त नहीं होता। बल्कि इस रिश्ते में व्यापकता आ जाती है। कन्यादान में वर पिता को इस बात का वचन देता है कि वह उनकी पुत्री का हमेशा ख्याल रखेगा और उस पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देगा। विवाह के दौरान कन्यादान का पल बहुत ही भावुक करने वाला होता है, इस समय माता-पिता के साथ-साथ वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं।

बेटियों के जन्म से लेकर कन्यादान तक की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई

बेटियों के लिये प्रदेश में कई तरह की योजनायें संचालित की जा रही हैं, उन्हीं में से एक योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना भी है। हर अभिभावक अपनी बेटी का विवाह धूम-धाम और उल्लास के साथ करना चाहता है। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण बेटी के विवाह को लेकर चिंतित रहते हैं। जैसे ही उनकी बेटी विवाह के योग्य होने लगती है, उनको एक ही चिंता सताने लगती है कि वे बेटी का विवाह कैसे करेंगे, उसकी जरूरत के सामान कहां से लायेंगे। प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को बेटी बोझ न लगे, इसलिये प्रदेश सरकार ने बेटियों की पढ़ाई से लेकर कन्यादान तक की जिम्मेदारी खुद ली है। इस योजना का उद्देश्य गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित, निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी ने वचन-पत्र के तीसरे बिन्दु कन्या विवाह/निकाह योजना का अनुदान 28 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने का निर्णय लिया था। कन्या विवाह और निकाह योजना की राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये किये जाने की घोषणा का क्रियान्वयन प्रारंभ भी हो गया है। योजना में हुए संशोधन का पहला प्रकरण 22 दिसंबर 2018 को धार जिले में सामने आया, जब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बढ़ी हुई राशि 51 हजार रुपये का चेक मूक-बधिर नव-दम्पति को प्रदान किया गया। नव-दम्पति को मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह योजना से एक लाख रुपये की राशि भी दी गई। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की राशि 51 हजार किये जाने के बाद इस राशि में से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के लिए अधिकृत निकायों को 3 हजार रुपये प्रति कन्या के मान से, सामग्री के लिये 5 हजार रुपये तथा शेष राशि 43 हजार रुपये कन्या के बचत बैंक खाते में जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। आदिवासी अंचलों की जनजातियों में प्रचलित विवाह-प्रथा में होने वाले सामूहिक अथवा एकल विवाह में कन्या विवाह सहायता की राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की पहल पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कन्या विवाह तथा निकाह सहायता की राशि का लाभ लेने के लिए आय सीमा का बंधन भी समाप्त कर दिया गया है।

कितने प्रकार की विवाह योजनाएं संचालित हैं

वर्तमान में म.प्र. शासन द्वारा संचालित 3 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1. कन्यादान योजना
2. निकाह योजना (केवल मुस्लिम वर्ग की कन्याओं के लिये)
3. नि:शक्तजनों के लिये विवाह सहायता योजना।

कन्या को दी जाने वाली सामग्री की प्रस्तावित मार्गदर्शी सूची

- एल.पी.जी. गैस कनेक्शन/कलर टी.वी. पोर्टेबल/स्टील की अलमारी (साढ़े पांच फिट)/सोफा सेट।
- लोहे का निवार वाला पलंग अथवा

लकड़ी का पलंग, रजाई, गद्दे, तकिया सहित दो चादर।

- आभूषण पायल, बिछिया, कांटा, मंगलसूत्र।
- सिलाई मशीन अथवा साइकिल, पंखा।
- स्टील के कम से कम 11 बर्तन, प्रेशर कुकर।
- कन्या (वधु) के वस्त्र साड़ी नग 2, ब्लाउस 2, पेटीकोट 2 नग, चूड़ियां, श्रृंगार की सामग्री।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

पात्रता शर्तें

- कन्या अथवा कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
- कन्या अथवा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों या जरूरतमंद हों।
- कन्या स्वयं निराश्रित हो अथवा गरीब हो और स्वयं के विवाह हेतु आर्थिक रूप से सक्षम न हो।
- ऐसी विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो अथवा निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो।
- ऐसी परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो और निराश्रित हो जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रूप से सक्षम न हो, जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो।

पात्रता की पुष्टि हेतु निम्नांकित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायें

- समग्र कोड।
- श्रमिक संवर्ग के अंतर्गत पंजीयन का कार्ड।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही हेतु बी.पी.एल. का कार्ड (केवल कन्या आवेदक के लिए) यदि उपलब्ध हो तो क्योंकि गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद व्यक्ति भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- अभिकथन अथवा शपथ-पत्र।
- विधवा अथवा परित्यक्ता आवेदक होने की स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज।
- विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश।

आयु : कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम आयु का बंधन नहीं रखा गया है।

यदि कन्या निःशक्त श्रेणी की है, या उसने अंतर्जातीय विवाह किया है या बाछड़ा बेड़िया समाज की कन्या ने सजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत विवाह किया है तो उसको सम्बन्धित योजना के अंतर्गत पृथक से विवाह प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

मुख्यमंत्री निकाह योजना

पात्रता शर्तें

- कन्या अथवा कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
- कन्या अथवा कन्या के अभिभावक मुस्लिम समुदाय के हों।
- कन्या अथवा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों या जरूरतमंद हों।
- ऐसी मुस्लिम विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो अथवा निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो।

  ऐसी परित्यक्ता मुस्लिम महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो और निराश्रित हो जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रूप से सक्षम न हो, जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो।

पात्रता की पुष्टि हेतु निम्नांकित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायें

- समग्र कोड।
- श्रमिक संवर्ग के अंतर्गत पंजीयन का कार्ड।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही हेतु बी.पी.एल. का कार्ड (केवल कन्या आवेदक के लिए) यदि उपलब्ध हो तो क्योंकि गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- अभिकथन/शपथ-पत्र।

  विधवा अथवा परित्यक्ता आवेदक होने की स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज।

  विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

  परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश।

आयु : कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम आयु का बंधन नहीं रखा गया है।

निशक्तजन विवाह योजना

पात्रता शर्तें

- कन्या अथवा कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
- कन्या निःशक्त हो।
- निःशक्तता का प्रमाण पत्र जिसमें 40

प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता बताई गई हो।

- आवेदक अथवा आवेदिका आयकरदाता न हो।
- कन्या की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से कम न हो।

पात्रता की पुष्टि हेतु निम्नांकित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायें

- समग्र कोड।
- श्रमिक संवर्ग के अंतर्गत पंजीयन का कार्ड।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही हेतु बी.पी.एल. का कार्ड (केवल कन्या आवेदक के लिए) यदि उपलब्ध हो तो क्योंकि गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद व्यक्ति भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- अभिकथन अथवा शपथ-पत्र।
- विधवा या परित्यक्ता आवेदक होने की स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज।
- विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश।

आयु : कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम आयु का बंधन नहीं रखा गया है।

नोट : यदि कन्या निःशक्त श्रेणी की है या उसने अंतर्जातीय विवाह किया है या बाछड़ा बेड़िया समाज की कन्या ने सजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत विवाह किया है तो उसको सम्बन्धित योजना के अंतर्गत पृथक से विवाह प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

समग्र विवाह पोर्टल

प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार समस्त विवाह योजनाओं का क्रियान्वयन ऑनलाइन किया जाना है एवं समस्त विवाह योजनाओं के हितग्राहियों का ऑनलाइन सत्यापन कर पोर्टल के माध्यम से ई-पेमेंट करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। इस हेतु समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत समग्र विवाह पोर्टल तैयार किया गया है। समग्र विवाह पोर्टल पर समस्त विवाह योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ जिले, निकाय, गांव, वार्डवार हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी के साथ-साथ विस्तृत

जानकारी भी आप देख सकते हैं। साथ ही नये विवाह हितग्राही, संभावित पात्र हितग्राहियों की सूची यहां उपलब्ध रहती है। यहां प्रत्येक विवाह हितग्राहियों को योजनावार भुगतान की जानकारी, विवाह कार्यक्रमों की रिपोर्ट और ऑनलाइन विवाह हेतु आवेदन देने की सुविधा। विवाह संबंधित सुझाव एवं शिकायत भी समग्र विवाह पोर्टल के माध्याम से प्रेषित करने की सुविधा है। विवाह योजनाओं से संबंधित सभी पत्रों एवं योजनाओं का विवरण भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।

पोर्टल के उद्देश्य

- समस्त विवाह हितग्राहियों का पोर्टल पर सत्यापन बचत खाते की जानकारी सहित।
- पात्रतानुसार योजनाओं की जानकारी।
- सभी विवाह हितग्राहियों को पोर्टल के माध्यम से ई-पेमेंट करने की सुविधा।
- हितग्राहियों की पारदर्शी एवं कम्प्यूटरीकृत जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहती है।
- विवाह कार्यक्रमों की ऑनलाइन रिपोर्ट।
- कन्यादान, निकाह, निःशक्तजनों के विवाह की पृथक-पृथक रिपोर्ट योजनावार, जातिवार, आयुवर्गवार, क्षेत्रवार ऑनलाइन उपलब्ध कराना।

क्यों आवश्यक है विवाह का पंजीयन?

मध्यप्रदेश सरकार के अनुसार विवाह के उपरांत विवाह का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। विवाह प्रमाण-पत्र आपके विवाह का प्रमाणीकरण होता है तथा यह आपको विवाहित प्रमाणित करता है। विवाह प्रमाण पत्र विवाह प्रमाणीकरण और नाम बदलने की दशा में लाभदायी होता है। अतः समग्र पोर्टल पर विवाह उपरांत विवाह का पंजीयन होना आवश्यक है। जिससे कन्या की समग्र आई.डी. पति के परिवार की आई.डी. से मैच की जा सके।

पंजीयन कौन कर सकेंगे : जहां परिवार निवासरत हैं उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/वार्ड कार्यालय विवाह उपरांत समग्र पोर्टल पर विवाह का पंजीयन कर सकेंगे।

किस आधार पर कर सकेंगे पंजीयन : जिस कन्या के विवाह के उपरांत संबंधित निकाय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है, उसके आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय द्वारा कन्या के विवाह संबंधी जानकारी को अद्यतन किया जा सकता है।

पंजीयन हेतु आवश्यक जानकारी : परिवार समग्र आई.डी., कन्या का नाम, कन्या की समग्र आई.डी., पिता का नाम, पिता की समग्र आई.डी., माता का नाम, माता की समग्र आई.डी., जन्म दिनांक, विवाह दिनांक, वर का नाम, वर के पिता का नाम, विवाह स्थान का नाम, इत्यादि जानकारी को समग्र पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्यक होगा।

● **रश्मि रंजन**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और सबको रोज़गार के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। मध्यप्रदेश में हरेक को रोज़गार और हर हाथ को काम सुनिश्चित करने के प्रयास सफल हुए हैं। महात्मा गांधी नरेगा के सुचारू क्रियान्वयन में प्रदेश सबसे आगे है। पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर पारदर्शिता के साथ रोज़गार कार्यक्रमों पर अमल किया जा रहा है। ई-मस्टर और एफ.टी.ओ. जारी करने में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। मनरेगा के तहत नई उपयोजनाएं भी शामिल की गयी हैं। इसमें सुदूर ग्राम सड़क, ग्राम संपर्क, खेत-सड़क योजना, अनाज भण्डारण, आँगनवाड़ी भवन, कपिलधारा योजना, मेरा खेत मेरी माटी योजना, ग्रामीण क्रीड़ांगन योजना शामिल है। इनके क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश के ग्रामों में विकास के साथ रोज़गार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। नई सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन और अमल में नवाचारों के साथ कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है।

एक नजर में : वर्ष 2018-19

● जारी जॉबकार्ड	:	69 लाख
● सक्रिय जॉबकार्ड	:	52 लाख
● सक्रिय श्रमिक	:	96 लाख
● अनुसूचित-जाति श्रमिक	:	16 लाख
● अनुसूचित-जनजाति श्रमिक	:	34 लाख
● लाभान्वित परिवार	:	37 लाख
● लाभान्वित श्रमिक	:	62 लाख
● सृजित मानव दिवस	:	18 करोड़

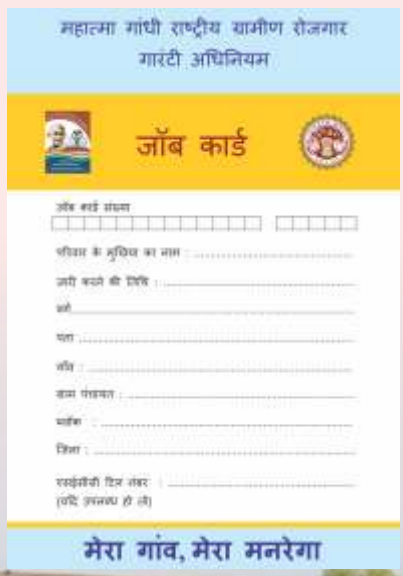

योजना के प्रमुख बिन्दु

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना से वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के रोज़गार की गारंटी।
- स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन।

योजना की विशेषताएं

- कार्यस्थल पर पेयजल व्यवस्था, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, झूलाघर (5 अथवा अधिक बच्चे होने पर)
- मजदूरी का भुगतान किन्हीं भी परिस्थितियों में 15 दिवस में किया जाता है।
- मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की परिस्थिति में राशि रु. 25000/- का भुगतान।

योजना मध्यप्रदेश के आईने में

- समस्त पूर्ण कार्यों के जियो टैग।
- 29 लाख पूर्ण कार्यों में से 26 लाख कार्यों को जियो टैग किया गया।
- वर्ष 2018-19 में कुल 4,896 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं, जिसमें 1,553 करोड़ रुपये सामग्री पर तथा 3,070 करोड़ रुपये मजदूरी पर व्यय किये गये हैं।
- वर्ष 2018-19 में कुल 18.27 लाख कार्यों में से 11.7 लाख कार्य पूर्ण किए गए।

निर्मित संरचनाएं

- आंगनवाड़ी एवं पंचायत भवन
- सीमेंट कांक्रीट रोड
- शांतिधाम
- कपिलधारा कूप
- मेढ़ बंधान
- खेत तालाब
- सुदूर संपर्क सड़क
- वृक्षारोपण
- खेल मैदान
- आवास निर्माण
- स्टॉप डेम
- तालाब निर्माण

हितैषी कपिलधारा

कपिलधारा उपयोजना के तहत पात्र वर्ग के कृषकों की निजी स्वामित्व भूमि

पर सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिये कूप निर्माण किया जाता है। 5 मीटर आंतरिक व्यास एवं 12 मीटर गहराई के कूप की मानक लागत 2 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। कूप के साथ 3 मी. x 3 मी. x 3 मी. आकार की जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण हेतु रुपये 10 हजार अथवा न्यूनतम 400 घन मी. जल क्षमता के खेत तालाब के निर्माण हेतु राशि रुपये 30 हजार का लाभ हितग्राही कृषक के विकल्प पर दिये जाने का प्रावधान है।

खेत तालाब निर्माण

मनरेगा के तहत लक्षित वर्ग के हितग्राही

कृषकों के निजी खेत में सिंचाई एवं भू-जल रिचार्जिंग के लिये खेत तालाब निर्माण हेतु 400 घन मी. जल क्षमता की मानक लागत राशि रु. 30,000, 1000 घन मी. जल क्षमता की मानक लागत राशि रुपये 91000 तथा 3600 घन मी. जल क्षमता के 2.88 लाख रुपये लागत के बनाये जाने का प्रावधान है।

जल संवर्द्धन वाटर कोर्स/ फील्ड चैनल का निर्माण

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु जल संसाधन

विभाग की डिजाइन एवं मापदण्डों के आधार पर कोलावा क्षेत्र के अंतिम छोर के कृषक के खेत तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने के लिये जल उपभोक्ता संस्थाओं के माध्यम से सीमेंट कांक्रीट के वाटर कोर्स, फील्ड चैनल निर्माण किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु 814 रुपये प्रति मीटर लागत निर्धारित की गयी है।

पंचायत भवन

परफारमेन्स ग्रांट या अन्य योजनाओं के अभिसरण से मनरेगा की

गतिविधियों के प्रदर्शन आदि के लिये भवन निर्माण एवं अन्य ग्राम पंचायतों में ई-पंचायत कक्ष का निर्माण 40 : 60 के अनुपात में निर्मित किये जाने का प्रावधान है।

आंगनवाड़ी भवन

महात्मा गांधी नरेगा एवं महिला बाल विकास अथवा परफारमेन्स ग्रांट के अभिसरण से भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण 40 : 60 के अनुपात में निर्मित किये जाने का प्रावधान है।

कार्यस्थल पर सुविधाएं

पीने के पानी, छाया की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा तथा कार्यस्थल पर मजदूरों के 06 वर्ष से कम आयु के न्यूनतम 05 बच्चे होने पर झूलाघर की व्यवस्था की जाती है।

दुर्घटना क्षतिपूर्ति

यदि कार्यस्थल पर दुर्घटना में कोई मजदूर घायल होता है तो उसे नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे मजदूरों की मृत्यु अथवा अस्थायी रूप से अपंग होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 25 हजार रुपये तक का भुगतान किया जाता ह।

योजना के कार्यों का स्वरूप

योजनांतर्गत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लक्षित वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करने के साथ ही स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए हितग्राहीमूलक तथा समुदायमूलक उपयोजनाएँ संचालित एवं क्रियान्वित की जा रही हैं।

घोषणा

फार्म 4 (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश पंचायिका

1.	प्रकाशन स्थान	:	भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	:	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	:	एम. गोपाल रेड्डी प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	XXX
	पता	:	मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
4.	प्रकाशक का नाम	:	उर्मिला शुक्ला, आयुक्त पंचायत राज संचालनालय, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के पास, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	XXX
	पता	:	पंचायत राज संचालनालय, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के पास, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
5.	संपादक का नाम	:	रंजना चितले
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	XXX
	पता	:	मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों, तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	:	आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के पास, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

मैं उर्मिला शुक्ला एतद् द्वारा घोषित करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

उर्मिला शुक्ला

दिनांक 1.3.2019

प्रकाशक के हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत मल्कानगिरी में बीज संरक्षण के जरिये

पारंपरिक खेती से लोगों को जोड़ रही हैं

आदिवासी महिलाएं

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि को उन्नत बनाए बिना ग्रामीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को उन्नत कृषि के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसा ही एक प्रयास ओडिशा राज्य के कंधमाल जिले के मल्कानगिरि ग्राम पंचायत में किया गया। मल्कानगिरी एक आदिवासी बहुल गांव है। कृषि यहां के जीविकोपार्जन का मुख्य जरिया है। कृषि के क्षेत्र में कई उपायों को अपनाने के बाद भी इस क्षेत्र में फसल उत्पादन कम हो रहा था। इसके बाद कृषि में नवाचार के जरिए उत्पादन बढ़ाने का बीड़ा गांव की महिलाओं ने उठाया। ये महिलाएं ओडिशा नामक एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) के साथ मिलकर ग्रामीणों को बीज संरक्षण के जरिए खेती के पारंपरिक तरीकों की जानकारी दे रही हैं। एनजीओ ने कृषि उपज बढ़ाने के लिए मौजूद परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीजों को सहेजने का काम किया। इससे पैदावार बढ़ी, सकारात्मक परिणाम आने के बाद गांव की कई महिलाएं एनजीओ से जुड़ीं। महिलाओं ने फसलों के उत्तम और देशी बीजों को सहेजने का काम किया और अन्य ग्रामीणों को ये बीज उपलब्ध कराए और परंपरागत खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया। एनजीओ की सदस्य जमुना किरसानी ने बताया कि पारंपरिक खेती से उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीज की उपलब्धता को बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। गांव में किसान आत्मनिर्भर बन सकें इसके लिए आदिवासी महिला किसानों का पारंपरिक ज्ञान कारगर साबित हुआ। उन्होंने बताया कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान से महिला किसानों ने गांव में अलग कृषि क्रांति लाई है जो दूसरे किसानों के लिए उपयोगी साबित होने लगी है।

सीड मैपिंग में आयी फसल क्रांति

ग्राम पंचायत मल्कानगिरी में बीज संरक्षण के सीड मैपिंग की प्रक्रिया की गई। सीड मैपिंग यानी किसी क्षेत्र विशेष में फसल के उत्कृष्ट बीज का चयन करना। सीड मैपिंग के जरिए महिलाओं ने कई फसलों की विभिन्न किस्मों के बीजों का संरक्षण किया।

● मोहन सिंह पाल

बीज का चयन

गांव के लोग पहले बीज के किस्मों का चयन करते हैं, फिर उसका आदान-प्रदान दूसरे फसल के बीज के साथ करने की योजना तैयार की जाती है। एनजीओ की महिलाओं ने एक नर्सरी तैयार की, जिसमें मौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं। इस नर्सरी में उन्हीं पेड़ पौधों के बीजों को चिन्हित किया जाता है, जो स्वस्थ और उत्तम किस्म के हों। केवल स्वस्थ पेड़-पौधे की किस्म के बीजों को ही संग्रहित किया जाता है।

अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेंस में दिये गये निर्देश

दिनांक 07.02.2019

1. महात्मा गांधी नरेगा :

- प्रदेश की कई नदियां सामान्यत: मानसून के पश्चात् सूख रही हैं, जिसके फलस्वरूप इन नदियों पर आधारित आजीविका और पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ''नदी प्रवाह बहाली'' कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना है। अत: तत्संबंध में कार्यक्रम की अवधारणा, रणनीति तथा प्रस्तावित प्रक्रिया के संबंध में अवगत कराया गया।
- ''नदी प्रवाह बहाली'' कार्यक्रम की समय सीमाओं का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया गया कि संबंधित जिलों में चयनित नदी के कैचमेंट में सतही जल संग्रहण और भूजल संवर्द्धन के कार्यों का चयन 21 फरवरी 2019 तक कर स्वीकृतियां 24 फरवरी 2019 तक अनिवार्यत: जारी कर ली जाएं और चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व यह कार्य आरंभ कर लिए जाएं ताकि मार्च से जून 2019 की अवधि में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो सके।
- ऐसे जिले जहां महिला स्व-सहायता समूह सशक्त हैं और उनके मोबलाईजेशन का स्तर अच्छा है, उन जिलों में इन स्व-सहायता समूहों को नदी प्रवाह बहाली के कार्यक्रम से संबद्ध किये जाने की प्रणाली विकसित की जाये।
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी तेजस्विनी के स्व-सहायता समूह का नरेगा कार्य संपादन में क्षमता का आकलन कर आगामी वीडियो कान्फ्रेंस में अवगत कराएं।
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से अनकनेक्टेड राजस्व ग्राम की सूची प्राप्त कर सत्यापन कर जानकारी आगामी वीडियो कान्फ्रेंस के पूर्व एकत्रित की जाए।
- गौ-शाला निर्माण हेतु 1 एकड़ एवं 2 से 4 हेक्टेयर भूमि चारा विकास, पौधरोपण सह नर्सरी विकास के लिए शीघ्र चिन्हांकित की जाए। भूमि चयन के लिए यह ध्यान रखा जाए कि उक्त भूमि जल स्रोत के नजदीक हो तथा उक्त स्थान पर विद्युत की सुविधा भी हो/आसानी से ली जा सके।
- एजेंसी का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह गौ-शाला निर्माण और निरंतर संचालन में सक्षम हो तथा एजेंसी में सेवाभाव हो। एजेंसी का चयन भी उनकी सेवाभाव एवं संचालन की क्षमता का आकलन के बाद ही किया जाए। एजेंसी के रूप में इच्छुक ग्राम पंचायत को ही चुनें। वनग्राम अंतर्गत वनक्षेत्रों में जेएफएमसीएस एजेंसी के रूप में कार्य करेगा अत: वनग्राम में भी नियमानुसार गौ-शाला एवं चारागाह विकास हेतु भूमि का चयन करें।
- जिला एवं जनपद स्तर पर गौ-शाला समन्वय एवं क्रियान्वयन समितियों की बैठक तत्काल आयोजित की जाए।
- गूगल शीट में चयनित ग्राम पंचायतों की जानकारी शीघ्र अपलोड की जाए।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 2018-19 में तृतीय किश्त शत-प्रतिशत जारी हो जाए तथा यह सुनिश्चित करें कि जिले का एक भी आवास Locked आवासों की श्रेणी में परिवर्तित न हो पाये। तृतीय किश्त प्राप्त आवासों को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- आगामी लक्ष्य हेतु गूगल शीट (एक कक्ष कच्चा तथा दो कक्ष कच्चा की जानकारी) में सही जानकारी इन्द्राज करना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी ग्राम लक्ष्य प्राप्ति से छूटे नहीं। यह कार्यवाही अनिवार्य रूप से आगामी वीडियो कान्फ्रेंस के पूर्व पूर्ण कर ली जाए।
- भूमिहीन हितग्राहियों (प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पात्र हितग्राही) की जानकारी गूगल शीट में दर्ज करें और यह सुनिश्चित करें कि जो पात्र हितग्राही अभी भी भूमिहीन हैं उन्हें शीघ्र ही भूमि आवंटित की जावे। इसकी समीक्षा आगामी वीडियो कान्फ्रेंस में की जावेगी।

3. स्वच्छ भारत मिशन

- जिन जिलों द्वारा SLWM अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में रुपये 5.00 लाख से अधिक व्यय कर लिया है, उन जिलों द्वारा इन कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाए। साथ ही समस्त जिले SLWM के कार्यों के विरुद्ध होने वाले व्यय की प्रविष्टि GOI-MIS में नियमित रूप से करें।
- गोबर धन योजना सम्बन्धी जिले स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं।
- जिन जिलों में अनुपयोगी शौचालय शेष हैं उन्हें world bank मद से जारी की गई राशि से शीघ्र उपयोगी में परिवर्तित कर IMIS में प्रविष्टि दर्ज की जाये।

4. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

- 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों का 20.02.2019 के पूर्व निराकरण करना सुनिश्चित करें।
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर उपलब्ध जनवरी माह की वर्तमान ग्रेडिंग अनुसार ''D-ग्रेड'' एवं ''C-ग्रेड'' पर दर्शित जिले नियमित समीक्षा करें एवं अधिक से अधिक शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद कराते हुए जिले को A ग्रेड पर लाना सुनिश्चित करें।

जिला तथा जनपद पंचायत प्रतिनिधियों की विकास राशि के पुनर्निर्धारण संबंधी आदेश जारी

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/22/पं.-1/2019/37 **भोपाल, दिनांक 01.03.2019**

प्रति

1. कलेक्टर, जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश

विषय : जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर राज्य वित्त आयोग मद से दी जाने वाली राशि का पुनर्निर्धारण किये जाने बाबत्।

संदर्भ: विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 61/अमुस/पंग्राविवि/2017 दिनांक 11.09.2017 एवं पत्र क्रमांक/73/2018/22/पं.-1 दिनांक 19.02.2018।

उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा राज्य वित्त आयोग मद से जिला एवं जनपद पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर दी जाने वाली राशि का निर्धारण किया गया था। इस अनुक्रम में वर्ष 2019-20 से विकल्प पर दी जाने वाली राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

जिला पंचायत के लिए राशि का निर्धारण-

1. जिला पंचायत अध्यक्ष के विकल्प पर - राशि रुपये 50 लाख।
2. जिला पंचायत उपाध्यक्ष के विकल्प पर - राशि रुपये 20 लाख।
3. जिला पंचायत सदस्य के विकल्प पर - राशि रुपये 15 लाख।

जनपद पंचायत के लिए राशि का निर्धारण-

1. जनपद पंचायत अध्यक्ष के विकल्प पर - राशि रुपये 20 लाख।
2. जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विकल्प पर - राशि रुपये 10 लाख।
3. जनपद पंतायत सदस्य के विकल्प पर - राशि रुपये 5 लाख।

शेष शर्तें विभागीय परिपत्र क्रमांक/73/2018/22/पं.-1 दिनांक 19.02.2018 अनुसार ही होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(उर्मिला शुक्ला)
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/22/पं.-1/2019/38 **भोपाल, दिनांक 01.03.2019**

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. संचालक, पंचायतराज संचालनालय।
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

8 मार्च को सबला महिला सभा आयोजित करने के निर्देश जारी

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/39/पंचा.-/2019/22/पं.-1/पं.उ.स./ **भोपाल, दिनांक 02.03.2019**

प्रति

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय : 08 मार्च 2019 को महिला ग्राम सभा ''सबला महिला सभा'' के आयोजन के संबंध में।

सरकार के वचन पत्र के बिंदु क्रमांक 32.6 के तारतम्य में ग्राम सभाओं में महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-1-19/22/पं.-1/222 दिनांक 07.01.2019 द्वारा 08 मार्च (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) को ''सबला महिला सभा'' तथा 19 नवंबर को ''प्रियदर्शनी महिला सभा'' का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. राज्य शासन के उक्त आदेश के अनुपालन में मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 के तहत प्रत्येक ग्राम में **8 मार्च 2019** को महिला ग्राम सभा **''सबला महिला सभा''** का आयोजन किया जाना है। ग्राम सभा में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा उनके कल्याण से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की जावेगी तथा ग्राम में महिलाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित ग्राम विकास योजना तैयार करने की कार्यवाही की जावेगी। इस योजना पर ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिकता से कार्यवाही की जाना अपेक्षित होगा।

3. ग्राम सभा की अध्यक्षता महिला सरपंच या महिला उपसरपंच अथवा उपस्थित सदस्यों की सहमति से ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित वार्ड की महिला पंच या वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा की जायेगी।

4. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 6 (1) के उपबंध अनुसार कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा के समुचित आयोजन हेतु एक शासकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। ग्राम सभा आयोजन की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल तथा संबंधित गांव के सहज दृश्य स्थान पर चस्पा की जाये तथा ग्राम सभा आयोजन की संबंधित गांव में डोडी (मुनादी कराई जाये)। ग्राम सभा के सम्मिलन का कार्यवाही विवरण अनिवार्यत: तैयार किया जावेगा।

5. ग्राम सभाओं में संलग्न परिशिष्ट- 'अ' अनुसार विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(उर्मिला शुक्ला)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/40/पंचा.-/2019/22.पं.-1/पं.उ.स./ **भोपाल, दिनांक 02.03.2019**

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव, मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. निज सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
5. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

---

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन (समस्त विभाग) मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, मनरेगा परिषद्, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल म.प्र.।
4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. समस्त, संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बावत्।

---

1. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश तथा प्रबंध निदेशक, माध्यम/पंचायिका की ओर प्रकाशनार्थ।
2. जनसंपर्क अधिकारी, मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट-अ

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विषय -

(1) मनरेगा अंतर्गत रोज़गार नियोजन में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी पर चर्चा।
(2) मनरेगा अंतर्गत हितग्राहीमूलक योजनाओं में हितग्राही चयन में महिला मुखिया को प्राथमिकता दिये जाने पर चर्चा।
(3) मनरेगा अंतर्गत नदी पुनर्जीवन, तालाबों के जीर्णोद्धार, जलग्रहण कार्यों की योजना बनाने, मजदूरों को मोबलाईज करने, सोशल ऑडिट एवं मॉनीटरिंग में सहभागिता पर चर्चा।
(4) मनरेगा कार्यों में महिला स्व-सहायता समूह को क्रियान्वयन एजेंसी बनाये जाने पर चर्चा।
(5) शौचालय का उपयोग बढ़ाने में महिलाओं का योगदान एवं उपलब्धि पर चर्चा।
(6) ग्राम में साफ-सफाई एवं स्वच्छता के संबंध में चर्चा।
(7) स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, जिन्होंने सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित कर स्वयं को आदर्श के रूप में स्थापित किया है, उन्हें सम्मानित कर ग्राम सभा में प्रेरक उद्बोधन देने का अवसर दिया जावे।
(8) महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्व-सहायता समूह निर्माण पर चर्चा।
(9) एसईसीसी- 2011 में शेष रहे प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु हितग्राहियों के नाम का वाचन।
(10) एसईसीसी- 2011 के सर्वे के आधार पर पात्र महिला मुखिया वाले ऐसे परिवारों, जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो का प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत चयन।
(11) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु महिला राज मिस्त्रियों का चयन।
(12) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा।
(13) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की मॉनीटरिंग में महिला पंच एवं विद्यार्थियों की माताओं की भूमिका पर चर्चा।

महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विषय-

(1) बालिकाओं को जन्म लेने, शिक्षा पाने, सुरक्षित रहने और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार मिले यह मध्यप्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। बेटी केंद्रित कई योजनाएं जैसे बेटी बचाओ अभियान, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाडो अभियान, सशक्त वाहिनी, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के संबंध में चर्चा।
(2) प्रत्येक नवविवाहित महिला/दंपति को PC PNDT act के बारे में बतायें, गर्भवती के शीघ्र पंजीयन को बढ़ावा, गर्भावस्था के 9

माह में 4 चेकअप अनिवार्य करवाना, शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव के संबंध में चर्चा।
(3) बेटियों के जन्म का उत्सव मनाने के संबंध में चर्चा।
(4) प्रत्येक मंगल दिवस पर आंगनवाड़ियों में महिलाओं/बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर चर्चा।
(5) गुड्डा-गुड्डी बोर्ड पर चर्चा।
(6) एक बालिका/दो बालिकाओं पर परिवार नियोजन कराने वाले परिवार का सम्मान करना।
(7) आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में सभी बालिकाओं का प्रवेश और नियमित शिक्षा, स्कूलों में कार्यशील शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा।
(8) प्रत्येक स्तर पर ड्रापआउट पर निगरानी रखना, ड्रापआउट रोकना। इस हेतु ड्रापआउट के कारणों को जानना और उन कारणों के हल निकालना। जैसे यदि स्कूल के रास्ते में कोई खतरा है तो गांव का कोई एक व्यक्ति वहां उपस्थित रहे, के संबंध में चर्चा।
(9) बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिलवाने पर चर्चा।
(10) गांव का माहौल बालिकाओं को सुरक्षा देने पर चर्चा।
(11) बेटियों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विशिष्ट कार्य करने वालों के सम्मान पर चर्चा।
(12) विशेष कार्य करने वाली प्रतिभाशाली बेटियों के सम्मान पर चर्चा।
(13) विधवा विवाह करने/कराने वालों पर चर्चा।
(14) किशोरी बालिका योजना, किशोरी बालिका दिवस का लाभ सभी को दिलवाये जाने पर चर्चा।
(15) महिलाओं को तकनीकी कौशल प्रशिक्षण दिलवाने पर चर्चा।
(16) पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी देना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित विषय-

(1) शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 5वीं में अध्ययनरत (5-10 वर्षीय) छात्र-छात्राओं को आई.एफ.ए. की गुलाबी गोली एवं कत्रा 6 से 12 में अध्ययनरत (10-19 वर्षीय) छात्र-छात्राओं को आई.एफ.ए. की नीली गोली प्रत्येक मंगलवार को सेवन कराने के संबंध में चर्चा।
(2) 6 से 60 माह के बच्चों को आई.एफ.ए. सीरप (प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार) एवं 5 से 19 वर्षीय शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक मंगलवार को उम्र अनुसार आई.एफ.ए. गोलियों का साप्ताहिक सेवन कराने के संबंध में चर्चा।
(3) वर्ष में 1 बार राष्ट्रीय कृमि दिवस पर कृमि संक्रमण की रोकथाम हेतु 1 से 19 वर्षीय बच्चों को चबाने वाली मीठी एल्बेण्डाजोल गोली की प्रदायगी के संबंध में चर्चा।
(4) महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण दूर करने के उपायों पर चर्चा।
(5) गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण आहार, समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक टीकाकरण के संबंध में चर्चा।
(6) किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार तथा उनके स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा।
(7) गर्भधारण से लेकर प्रसव उपरांत 1000 दिवस तक मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल के संबंध में चर्चा।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग से संबंधित विषय-

(1) कल्याणी पेंशन - परित्यक्ता पेंशन, अविवाहित महिला पेंशन, विधवा पेंशन तथा कन्या अभिभावक पेंशन एवं बहुविकलांग पेंशन सहित महिलाओं एवं असहाय व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न पेंशन योजनाओं एवं अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रमों की जानकारी उपस्थित महिलाओं को देना।
(2) विभिन्न पेंशन योजनाओं एवं अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में छूटी हुई पात्र महिला लाभार्थियों के आवेदन पत्र भरवाना।
(3) वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के नाम की सूची का वाचन करना तथा अपात्रों का नाम हटाने संबंधी कार्यवाही।
(4) मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के आयोजन हेतु कार्ययोजना बनाना।
(5) महिला उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर चर्चा।
(6) ग्राम को नशा मुक्त करने के संबंध में महिलाओं के योगदान पर चर्चा।
(7) मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना की सहायता राशि 28,000/- रुपये से बढ़ाकर 51,000/- रुपये होने की जानकारी एवं चर्चा।
(8) सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 600/- रुपये प्रतिमाह होने के संबंध में चर्चा।